## (2) LIC <br> भारतीय जीवन बीमा निगम

नोट: आआर आपकी कोई शिकायत/समस्सा, हो तो आप शिकायत समाधान अधिकरी/लोकपाल से समप्र पर सकते हैं, जिनका पता नीचे दिया गया है: NOTE: In case you have any Complaints/Grievance, you may approach Grievance Redressal Officer/ Ombudsman, whose address is as under:


नोट: इन नियमों तथा शतों और विशेष प्रवधानों/शतों की व्याख्या में कोई विवाद होने पर अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।
Note: In case of dispute in respect of interpretation of these terms and conditions and special provisions/conditions the English version shall stand valid.
आपसे अनुरोध है कि इस पॉलिसी की जांच कर लें तथा इसमें कोई श्रुटि पाए जाने पर उसे सुधार के लिए तुर्न हमें लौटाएं
YOU ARE REQUESTED TO EXAMINE THIS POLICY, AND IF ANY MISTAKE BE FOUND THEREIN, RETURN IT IMMEDIATELY FOR CORRECTION.
आई आर f ए ए आईंजी करण संख्या : 512
IRDAI Regn. No.: 512

## एलआईसी का जीवन लाभ

LIC's JEEVAN LABH

भाग - अ (जारी) / PART - A (Contd...)



 ले से स्वीकृत न हो।
 THE LIFE INSURANCE CORPORATON

 son or persons to whom the same is payable in terms of the said Schedule, on proof to the satisfaction of the C ine Corporation where this Policy y serviced al set out in the Policy Document, of the titte of the said person or persons claiming payment and of the correcthess of the age of the Lite Assurred stated in the Prooposal

Ad it is hereby declared that this Policy y A Assurance shall be subject to the Definitions, Benefits, Conditions Related To Servicing Aspects, Other Terms And Conditions and Statuto
of the Policy

|  | कार्यालय / DIV | FFICE: | तालिका | SCHEDULE | शाखा कार्यालय / BRANCH | OFICE: |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\begin{aligned} & \text { पॉलिस } \\ & \text { Polic } \\ & \text { पॉलिस } \\ & \text { Date } \\ & \text { जोखिए } \\ & \text { Date } \\ & \text { प्लान } \\ & \text { Plan } \\ & \text { प्रीमिय } \\ & \text { Prem } \\ & \text { परिपक } \\ & \text { Date } \end{aligned}$ | आरंभ तिथि mmencement of रंभ होने की तिथि: mmencement of <br> लिसी की अवधि cy Term: तान अवधि: aying Term थि: |  | मूल बीमा राशि (₹) <br> Basic Sum Assured <br> मूल पॉलिसी के लिए प्रीमिय Instalment Premium for <br> कुल किस्त प्रीमेयम (₹): Total Instalment Prem <br> (सेवा कर तथा/या समय अन्य कर अतिरिक्त लिए (Service tax and / or applicable from time | की किस्त (₹): ase Policy (₹): <br> (₹): <br> य पर लागू <br> other Tax as <br> me is charged extra.) | प्रीमियम भुगतान की देय तिथि <br> प्रीमियम के भुगतान का माध्यम: <br> Mode of payment of premium: <br> मूल पॉलिसी के लिए अंतिम प्रीमियम की देय तिध: <br> Due Date of Payment of <br> Last premium for Base Policy: <br> बीमित व्यक्ति की जन्म तिथि <br> Date of birth of the Life Assured: <br> बीमित व्यक्ति की उम्र <br> Age of the Life Assured: <br> क्या उम्र स्वीकृत है? <br> Whether age Admitted? |  |
| $\begin{aligned} & \text { कू सं } \\ & \text { Si No } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { Iुना गया ाइझइ } \\ & \text { Bider Opted } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { বूaाइएা } \\ & \text { UN } \end{aligned}$ | राइडर बीमा राशि/ Rider Sum Assured | राइडर के लिए किस्त प्रीमियम / Instalment Premium for Rider | राइडर के लिए अंतिम प्रीमियम के भुगतान की देय तिथि / Due date of payment of ast premium for Rider | राइडर की समाप्ति की तिथि/ Date of rider termination |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| नोट: भाग स (हितलाभ) की शर्त 4 के अंत्तरत उत्लेख किए गए राइडर की शतें केवल तभी लागू हूंगी आर इस राइडर को चुना गया हो । Note: Conditions of the rider(s) mentioned under Condition no. 4 of Part C (Benefits) shall only apply if the above mentioned riders have been opted for. |  |  |  |  |  |  |
| बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 39 के अंत्रगत नामित व्यक्ति का नाम । Name of Nominee under Section 39 of the Insurance Act, 1938 यदि नामित अवयस्क है, तो नियुक्त व्यक्ति का नाम: If nominee is a minor, name of the Appointee |  |  |  |  |  |  |
| प्रस्ताव सं.: / Proposal No. |  | प्रस्ताव की तिधि: / Date of Proposal: |  | हितलाभ च्रिण संद्य सं: / / Benefit llustraion Reference No.: |  |  |
| प्रस्तावक का ना और पता: / Name and address of Proposer: |  |  |  | बीमित व्यक्ति का नाम और पता / Name and address of Life Assured: |  |  |


| लाभार्थी, हितलाभ जिसे देय हैं Beneficiary to whom Benefits payable |  <br>  दय राशे मात्र क लिए भारत संप कित। किया होग।। <br> The proposer or the Life Assured or his Assignee under Section 38 of Insurance Act, 1938 or Nominees under Section 39 of Insurance Act 1938 or roved Executors or Administrators or other Legal Representatives who should take out representation Insurance Act, 1938 or proved Executors or Administrators or other Legal Representatives who should take out representation to his/ her Estate or limited to the moneys payable under this Policy from any Court of any State or Territory of the Union of India as applicable. |
| :---: | :---: |
| प्रीमियम किस अवधि तक देय Period during which premiums payable | अंतिम प्रीमियम के भुगतान की देय तिथि या बीमित व्यक्ति की उससे पूर्व मृत्यु होने तक <br> Till the stipulated due date of payment of last premium or earier death of the Life Assured. |
| प्रीमियम देय होने की तिथि Dates when premium payable | निर्धारित देय तिथि $\qquad$ को On the stipulated due date in |

निगम के लिए उपरोक्त शाखा कायालय पर हस्ताक्षरत, जिसका पता अंतिम पृष्ठ पर दिया गया है तथा जिस पर पॉलिसी से संबधित सभी प्राचर भेजे जाने चाहिए।
Signed on behalf of the Corporation at the above mentioned Branch Office, whose address is given on the last page and to which all communications
relating to the policy should be addressed.
दिनांक / Date
जांचकता / Examined by
फॉर्म नं. / Form No.:
क्रते aरिष्//मुख्य/ शाखा प्रबंधक
p. Chief/Sr./Branch Manager

| एजेन्सी कोड <br> Agency Code | एजेन्ट का नाम <br> Agent Name | एजेन्ट का मोबाइल नंबर/लैंडलाइन नंबर <br> Agent's Mobile Number/Landline Number |
| :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |

## ग-ब: परिभाषाए

स्स्तावेज में प्रयक्त शब्दों/शब्दावली की परिभाषाएं निम्नानुसार
उम्र का अर्थ पॉलिसी के आरंभ होते समय बीमित व्यक्ति के नज़दकी जन्मदिन
वर्व की उम्र के लिए, जहां उम्र पूर्ण वषों में हैं
निय्यक्त-व्यक्ति (एपॉइन्टी) वह व्यक्ति है जिसे पॉलिसी के अंत्गात दावे के भुगान
की तिथि को नामित के नाबालिग होने तथा उसे दावे की राशि दे होने पर वह की तिथि को नामित के नाबालिग है।
सुरक्षित राशे/ हिताभ दे होती है।
3. वार्षिकीकृत प्रीमियम एक पॉलिसी वर्ष में कुल देय प्रीमियम राशि है। जो कि बीमालेखन निण्यांतथा ताइड्रै।
4. समनुदृशिती वह व्यक्ति है जिसे सममुदेशन के फलस्वरूप पॉलिसी के अधिकार समनुदेशती वह व्यांत्ति है जिसे समनदेदा
तथा हितलाभ हसतांतरित किए जाते है।
5. समनुदेशन बीमा अधिनियम 1938 की धारा 38 के अंतर्गत "समनदेशीत" के पक्ष
में पालिसी के अधिकरों तथा हितलाभें के स्थानान्तरित होने की प्रक्रिया है।
6. मूल पॉलिसी यह पॉलिसी का वह हिस्सा होता है जो मूल हिताभों का उल्लेख आर चुने गए हों, लाभों का समावेश नहीं होता है।)
7. लाभाथा का अथ एसे व्याक्ति से है जो इस पोलिसी के अंतगतत हिताभी का प्राप्त करने का पात्र है। लाभाथी, प्रस्तावक या बीमित व्यक्ति या उसका समनदुशेती या नामित व्यक्ति या प्रमाणित निष्पादक या प्रशासक या कोई अन्य वैधानिक प्रतिनिधि.

निगम का अर्थ एलआइसी अधिनिय
9. पॉलिसी के आरंभ होने की तिथि का अर्थ इस पॉलिसी के शुरू होने की तिथि है।
10. जोखिम के आरभ होने की तिथि वह तिथि है जब निगम बीमा हुतु पॉलिसी की तालिका के अनुसार जोखिम (संक्षण) को स्वीकार कर लिता है।

1. परिप्वत्वा की तिथि का अअथ वह निश्चित तिथि है जब हिताभ पूर्णः या
2. परिपक्वता की तिथि का अर्थ वह निश्चित तिथि है जब हितलाभ पूर्णा: या
आक्सिक रूप से देय होता है।
3. निहित होने की तिथि वह तिथि जब पॉलिसी के हितलाभ पाने के लिए बीमित व्यक्ति हक्दार होता है है जैसा कि इस पॉलिसी दस्तावेज के भाग स की शर्त 3 में
विनदेंह किया गया है।
4. मुल्यु पर मिलने वाली रकम का अर्थ करार के आरंभ के समय सहममत हितलाभ से है, जो कि इस पॉलिसी दस्तावेज के "भाग स" की शर्त 2 में विनिध्रित बीमित
5. डिर्चार्ज फॉर्म पॉलिसीधारक/दावेदार द्वारा पॉलिसी के अंतर्गत/परिप्वता/ अभर्यपण फमूल्य पर पर प्राप्त होने वाले हितलाभ का दावा करने के लिए भरा जाने 5. देय तिथि का अर्ध वह निर्धारित तिथि है जब प्रीमियम देय तथा पॉलिसीधारक द्वरा भुगतान योय हों।
6. पृष्ठांकन से अथं निगम द्वारा किन्हीं सहमत या जारी संशेधनों या परिवरतनों को लिए संलम्न जोड़ी गई शतों से है। 7. अंतिम अतिरिक्त बोनस, जिसे टर्मिनल (समाप्ति) बोनस भी कहा जाता है, पोति
की समाप्ति पर, हिलाभीं के साथ देय अतिरिक्त राशी है, अरा लागू हो।
7. पूर् समाप्ति बकाया ऊण या लोन पर ब्याज को देय तिधि तक न चुकाने पर
पोलिसी की पूर-समाप्ति की क्रिया है।

पालिसी की पूर्समाप्ति की क्रिया है।
9. फ़ी लुक पीरिय पॉलिसी दस्तावे की प्राप्ति से 15 दिनों की अवधि इस पॉलिसी
के नियमों तथा शतों की समीक्षा करने के लिए है और आगर पौलिसीधारक उन के नियमों तथा शताँ की समीक्षा करने के लिए है, और आर पॉलिसीधारक उन
नियमों तथा शतनों में से किसी से असहमत हो, तो उसके पास इस पोंलिी का नियमां तथा शतों मे से
लिटाने का विक्प है।
20. रियायती अवधि यह प्रीमियम की देय तिथि से बीमाकता द्वारा दिया गया भुगतान
हेत वह समय है जिएके दौरान बिना किजी हेत वह समय है जिसके दौरान बिना किसी जुमान/विलम्ब शुल्क के भुगतान किया तथा पालिसी की अवाधि में कोई व्यवृान नहीं आता है।
21. गारंटीड सरेन्डर मूल्य पॉलिसी के सेन्डर किए जाने पर पॉलिसीधारक को अदा
किए जाने वाले सरेन्डर मल्य की न्यनतम गारंटी राशि है। किए जाने वाले सरेन्डर मूल्य की न्यूसतम गारंटीड राशि है।

रैलिलीधीरक को अदा
है।
22. पर्णात: प्रभावी का अर्थ यहृ है कि पॉलिसी के अंतर्गता सभी देय प्रीमियम्स का देय
तिथि से पहले या शियायती अवधि में भगगतान कर दिया गया है।
 इंडिया पहल
जाता था।
24. कालातीती (लैप्स) पॉलिसी की वह दशा है जब रियायती अवधि के दौरान देय प्रीमियम का भुगतान नहीं किया जाता है।
5. बीमित व्यक्ति वह व्यक्ति है जिसके जीवन पर बीमा संरक्षण लिया गया है।
26. ऋण निगम द्यार पॉलिसीधारक को पॉलिसी पर देय सरेन्डर मूल्य पर प्रदान की
27. परिप्वता हितलाभ का अर्थ वह हिललाभ है जो कि परिप्वता अभात इस
पोंलिसी दस्तावे के भाग स की शत 1 पर उल्लिखित पालिसी अवधि की समाप्ति
 रहता है।
28. महत्वपपर्ण जानकारी वह जानकारी है जो कि पॉलिसी प्राप्त करते समय बीमित व्यक्ति को पहल
प्रभाव होता है।
29. अवयस्क या नाबालिग वह व्यक्ति है जिसने 18 वर्ष की उम्र पूरी न की हो। 30. नामांकन किसी व्यक्ति को "नामित" करने के लिए प्रस्ताव प्रपत्र में या बाद में पपष्ठांकन द्रारा शामिल करने/बदलनने की प्रक्रिया है। नामांकन, समय-समय पर या
संशीधित बीमा अधिनियम 1938 की धरा 39 के प्रवधान के अनुसार किया जाना
31. नामित वह व्यक्ति है जो बीमित व्यक्ति की पॉलिसी की परिप्वता से पूर्व मृत्यु
की दश्रा में पॉलिसी की राशि को मान्य रूप से उन्मोचित (डिस्चाज) करने का अधिकार रखता है।

## PART - B: DEFINITIONS

The definitions of terms/words used in the policy documents are as
under:
under:

1. Age is the age nearest birthday of the Life Assured at the time of the commencement of the polic
age is in completed years.
2. Appointee is the person to whom the proceeds/benefits secured
3. Appointee is te person to whom the proceeds/benentits secured
under the Policy are payabbio it the benefit beomeses payable to the
nominee and nominee is minor as on the date of claim payment.
4. Annualized Premium is the total amount of premium payable in a policy year excluding extra amount if charged under the policy due to
underwiting decisions and rider remiums, if any.
5. Assignee is the person to whom the rights and benefits are
transiered by virtue of an Assignment
6. Assignment is the process of transferring the rights and benefits
to an "Assignee". Assignment should be in accordance with to an "Assignee". Assignment should be in accordance with the
provisions of section 38 of the Insurance Act, 1938 as amended from provisions of
time to time.
7. Base Policy is that part of the Policy referring to basic benefit
(benefits referred to in this policy document excluding benefits (benefits referred to in this policy
covered under Rider(s), if opted for).
8. Beneficiary means the person who is entitled to receive benefits
under this Policy. The Beneficiary may be proposer or Life Assured under this Policy. The Beneficiany may be proposer or Life Assured on
his Assignee or Nominees or proved Executors or Administrators or his Assignel or Nominees or proved Executors or Administrators or
other Legal Representatives as the case may be.
9. Corporation means the Life Insurance Corporation of India
established under Section 3 of the LIC Act, 1956.
.
10. Date of commencement of policy is the start date of this Policy. accepts the risk for insurance (cover) as evidenced in the corpedaration of the policy.
11. Date of Maturity means a fixed date on which benefit may become payable either absolutely or contingently.
12. Date of vesting is the date from which the Life Assured becomes entitled to the policy benefits as specified in Condition 3 of Part C o
this Policy Document
13. Death Benefit means the benefit, agreed at the inception of the
contract, which is payable on death of Life Assured as specified in contract, which is payable on death of Lifie Assured as specified in
condition 2 of Part $C$ of this Policy document.
14. Discharge form is the form to be filled by policyholder//laim
claim the maturity / surrender / death benefit under the policy.
15. Due Date means a fixedd date on which the policy premium is due
and payable by the policyholder
16. Endorsement means conditions attached/ affixed to this Policy
incorporating any amendments or modifications agreed to or issued incorporating any am.
by the Corporation.
17. Final Additional Bonus, also called as Terminal Bonus, is an
additional amount payable along with the benefits on termination additional amount payab,
the policy, if applicable.
Forylosure is an action 19. Free Look Period is thean and / or loan interest on due date. 19. Free Look Period is the period of 15 days from the date of receipt
of the policy document by the policyholder to review the terms and conditions of this policy and where the policyholder disagreest to any
of those terms and of ticy.
pose
18. Grace perion Grace period is the time granted by the insurer from the due date for
the payment of premium, without any penaly/ late fee, during which the payment in premium, without any penalty late feee, during which
timy the rolicy is considered to be inforce with the risk cover without
any intruption as pert the terms of the policy any interruption as per the terms of the policy.
19. Guaranteed Surrender Value is the minimum guaranteed amount
of Surrender Value payable to the policyholder on surrender of the policy.
20. Inforce means all due premiums have been paid on or before the date or within the grace period. of India means Insurarance Regulatory and Development Authority of India earier
Authority ( (RDPA).
21. Lapse is the status of the Policy when a due premium is not pa
22. Life Assured in period.
23. Life Assured is
been accepted.
24. Loan is the interest bearing rear . Maturity Benefit means the benefit, which is payable on maturity i.e.
at the end of the policy term as specified in condition of Part $C$ of at the end of the policy term as specified in condition or Part C of
this Policy Document, on life assured surviving the stipulated Date of Maturity.
25. Material information is the information already known to the Life
Assured at the time of obtaining a policy which has a bearing on Assured at the time of obtaining a policy whic
underwiting of the proposal IPolicy submitted.
26. Minor is a person who has not completed 18 years of age.
27. Nomination is the process of nominating a person who is named as
"Nominee" in the proposal form or subsequently included/ changed Nominee in the proposal form or subsequently includer/ changed provisions of section 39 of the Insurance Act, 1938 as amended fro time to time
28. Nominee is the person who has right to give a valid dis
policy monies in case of the death of the Life Assured.
policy monies in case of the death of the Life Assured.
29. Participating means the Policy is eligible for share of profit depending
upon the Corporation's experience.
30. प्रतिभागी का अर्थ है निगम के अनुभव के आधर पर पॉलिसी मुनाफे में भागीदारी का पात्र है।
31. चुकता पॉलिसी की वह स्थिति है, कम से कम 3 पूे वर्षों हेत प्रीमियम्स का भुगतान
अव किया जाता है और परवती पीमियम्स का भुतान रियायती अवधि के दुरान नहीं अदा किया जात
किया जाता है।
32. पॉलिरी वर्षांठ का अर्थ पॉलिसी के आरंभ होने की तिधि से एक वर्ष तथा उसके
33. पॉलिसी/ / पॉलिसी दस्तावेज का अर्थ पष्ठांकनों, आगर कोई हों, साहित निगम द्वारा
जाली वह दस्तीवेज है जो कि पॉलिसीधरक तथा निगम कें बीच एक वैधानिक नुवंध होता है।
34. पॉलिसीधारक इस पॉलिसी का कानूनी मालिक है
35. पॉलिसी अवधि वषों में पॉलिसी के आरंभ होने की तिथि से वह अवधि है,
पॉलिसी के नियोों व शतों के अनसार संविदागत हिताभ देय होते हैं।
36. पॉलिसी वर्ष दों लगातार पॉलिसी वर्षांगों के बीच की अवधि है। इस अध में पहला
नहीं है।
37. प्रीमियम पॉलिसी के अंतगत हितलाभों को सुरुक्षेत करने के लिए इस पॉलिसी दस्तावेज अनुसुसी में उल्लिखित विनिर्धारित समयों पर आवधिक रूप से पॉलिसीधारक द्वारा अदा का जाने वाली संविद्यातत राI
प्रमियम", जिसमें शामेल होगा
1) मूल पॉलिसी के लिए किस्त प्रीमियम तथा
ii) राइडर के लिए किस्त प्रीमियम, आगर राइडर को चुना गया हो

इस पॉलिसी काजजात में कहीं भी इस्त्तमाल किए गए शब्द "प्रीमियम" में प. प्रीमियम भुगतान अवधि का अर्थ वषों में वह अवधि है, जिसके दौरान प्रीमियम तान किया जाता है

1. निर्न्तर बीमा योग्यता का प्रमाण यह पॉलिसीधरक से मांगी जानेवाली जानकारी है ताकि पॉलिसी के प्न-म्यलन का निर्ण लिया जा सके। इसमें
घोषणा, मेडिकल रुपोटस, विशेष रिदोटस आदि का समावेश है।
2. प्रस्तावक वह व्यक्ति है जो जीवन बीमा लेने का प्रस्ताव देता है
3. पुनः प्रचालन का अर्थ प्रीमियम का भुगान न किए जानेवा पॉलिसी को, नियमों व शतां के अनुसार प्राप्त होने तथा पॉलिसीधारक द्वरा मौजूदा बीमलेखन दिशानिदेंशें के अनुसार पेश की गई जानकारी, कागजातों तथा रिपर्ट्रस के आधार र बीमाधारक की निन्त्तर बीमायोयता के बारे में संतुछ होने पर बीमाकर्ता द्वारा किए जाने से है।
 करने का पात्र है, जिसे प्रीमियम का भुगतान न किए जाने के कारण अप्रभावी कर
4. राइड़र इस पॉलिसी के अंतगता विनिर्धा
जोड़ा गया एक मूल्यवद्द्धित हितलाभ है
. राइडर प्रीमियम पॉलिसीधारक द्वारा, आर राइडर चुन्ना णया हो तो उसके अतिरिक्त उक्षण/ हितलाभ के लिए मूल प्लान के अंतगतत देय प्रीमियम को साथ अदा किया जाने ला प्रीमियम है
5. राइडर बीमा राशि वह निश्चित रकम है जो कि राइडर के अंतर्गत संरक्षित घटना
के घटित होने पर अगर 8. अनुसूरी आपके पॉलिसी दस्तावेज का एक अंग है जिसमें आपकी पॉलिसी का विवरण मोज़ूद है।
. सरल प्रत्यावती बोनस लाभ सहतत पॉलिसीं पर निगम द्वारा आतिरेत्तालाभ के रूप में जोड़ा जाता है। निगम के अनुभव के अनुसार इसे प्रत्येग
अंत में प्रति हजार मूल बीमा राशि पर घोषित किया जाता है।
6. मृत्यु पर बीमा राशि इस पॉलिसी की अवधि के दौरान मुत्य पर देय
7. मूल्यु परि बीमा।
सुनिश्चित राशि।
8. परिपक्वता पर बीमा राशि यह कुल राशि है जो परिपक्वता पर देय है जिसका
उल्लेख इस पौलिसी कागजात के भाग स की शतन 1 में उल्लेख किया गया है।
9. अभ्यर्पण का अर्थ पूरी पॉलिसी को परिपक्वता से पहले वापस लेना/समाप्त

करना है।
53. अभ्यर्पण मूल्य का अर्थ, वह राशि है, आग कोई हो, जो कि इस पॉलिसी
नियमों तथ शतां के अनुसार उसे सरेन्डर करने की स्थिति में देय होती है।
4. तालिका प्रीमियम यह बीमित व्यक्ति की उम के आधार पर चुनी गई मूल बीमा
राशि के लिए प्रीमियम है जिसमें किसी रिंट या अतिरित्त लोडिं को शामिल नहीं किया गया है।
55. बीमालेखन शब्द का इस्तेमाल जोखिम आकलन की प्रक्रिया का वर्णन करने तथा खह सुन्नेश्चत करने के लिए किया जाता है कि संबंधित व्यक्ति द्वारा जिन जोखिमों
का सममन किया जा रहा है, उनके संरक्षण के लिए यह आनुपातिक लागत है। बीमालेखन के आधार पर संशर्षण की स्वीकृति या अस्वीकृति तथा उपयुक्त प्रीमियम जाता है।
6. UIN का अर्थ इस प्लान को आईआराएी द्वारा आबंटित यूनीक आइडेन्टिफिकेशन नंबर है।
57. निहित बोनस यह प्रत्यावती बोनस है जो घोषित किया जा चुका है तथा पॉलिसी
58. लाभ सहित पॉलिसियां के तात्पर्य ऐसी पॉलिसियों से है, जो पॉलिसी के नियमों और शतों के अनुसार पॉलिसी की अववधि के दौरान निगम को प्राप्त होने वाली अतिरिक्त राशि (मुनाफे) में भागादारी की पात्र होती हैं।

## थाग - स: हितलाभ

स पॉलिसी के अंतग्गत निम्नलिखित हितलाभ देय
परिपक्वता हितलाभ: बीमित व्यक्ति
33. Paid - Up is the status of the Policy if the premiums are paid for at least 3 full yea
grace period.
34. Policy Anniversary means ye year from the dat oommenceme Policy Anniversary means one year from the date of commencemen
of the Policy and the same date falling one year thereatter, till the date of maturity.
35. Policy/Policy Document means this document along with
endorsements, if any issued by the Corporation which is a lega contract between the Policyholder and the Corporation.
36. Policyholder is the legal owner of this policy
37. Policy term is the period, in years, from the Date of commencemen
of policy during which the contractual benefits are payable as per the terms and condditions of the policy.
38. Policy year is the period between two consecutive policy
anniversaries. This period includes the first day and excludes the nex anniversaries. This perio
policy anniversary day.
39. Premium is the contractual amount payable by at specified times periodiciclly as mentioned in the schedule this Policy Document to secure the benefits under the policy. The
premium payable will be "Total Installment Premium" which includes C. Installment Premium for Base Policy and

Installment Premium for Rider, if Rider has been opted for
The tern 'Premiun' used anywhere in this Policy Document does
not include any taxes.
40. Premium paying term means the period, in years, during which 40. Premium is payababe.
premer

Proof of continued insurability is the intor Proof of continued insurability is the information sought from the
policyholder to decide revival of the policy. This includes Form of policynholder to docide reival of the policy. This incluces Form
declaration of Good Health, Medical Reports, Special Reports, etc.
42. Proposer is a person who proposes the life insurance proposal.
43. Revival of a policy which was discontinued due to the non-paymen
of premium, means restoration of the policy by the insurer as pe Underwititng decision, upon the receipt of all the premium due and Other charges/ /ate eee, if any, as per the terms and conditions of
the policy, upon being satisied as to the continued insurability o the insured. on the basis of the information, documents and reports furnished by the policyholder in accordance with the then existing
44. Revival Period is the pe is entitited to revivive the the policy, during which period the fom the dale payment of premium.
45. Rider is an add-on benefit in
under this Policy Document.
. Rider Proicy Document. with the premium is the premium payable by the Policyholder along
beney towards the additional cove benefit opped under the rider, it opted
47. Rider Sum Assured is the assured amount payable on happening a
a specified event covered under the rider if anted
48. Schedule is the part of policy document that gives the specific details of your policy.
49. Simple Reversionary Bonus is the surplus/profit added by the Corporation to with-protits's policies. It it declared per thousan
Basic Sum Assured at the end of each financial year based on th
Corporation's experience
50. Sum Assured on Death
5. during the policy term.
maturity as mentioned in Condition 1 of Part C of this Policy poccument
52. Surrender means complete withdrawal / termination of the entir

S3 Surender Value means an amount, 3 , that becon es payable case of surrender in accordance with the terms and condition of this
lum is the premium for the chosen Basic Sum Assure based on the age of
55. Underwriting is the term used to describe the process of assessing risd and ensuring thet the ocost of the cover is propopstionatesessing the
risks taced by the individual concerned. Based on undewritith decision on acceptance or rejection of cover as well as applicabili of suitable premium or modified terms, if any, is taken.
56. UIN means the Unique Identification Number allotted to this plan by
57. Vested Bonus is the reversionary bonus, if any, which has alreag,
been declared and remains attached to the policy.
58. With Profits policies means policies which are entitled for any
share in surpos s.poritis) emerging during the term of the policy if
accordance with the accordance with the terms and conditions of the policy
PART - C: BENEFITS
payable under this policy
Maturity Benefit: On Life Assured surviving stipulated Date Malurity provided the policy is inforce, Sum Assured on Madurity Bonus, if any shall be payable. Where Sum Assured on Maturity is Bonus, if any, shall be payab
equal to Basic Sum Assured.
2. Death Benefiti: On death of the Life Assured before the stipulated defined as sum of "Sum Assured on Death" vested Sime Reversionary Bonuses and Final Additional Bonus, it any, shall ber

रहने पर，बशानें पॉलिसी प्र्णाः प्रभावी हो，＂परिपक्वता पर बीमा राशि＂निहित
सरल प्रव्यावती बोनसों तथा अंतिम अतिरिक्त बोनस，अगर कोई हो，के साथ देय होगी। जहां परिपक्वता पर बीमा राशि मूल बीमा राशि के समान होगी।
 ोईई हो के कुल के रूप में परिभषित किया गया है देय होती＂मान्य पू आर्या
 राशि में से जो भी अधिक हो，के रूप में परिभाषित किया गया है，देय होगी। मूल्य पर मिलने वाली यह रमम मूल्य की तिथि तक अदा किए गए कुल प्रीमियमों
के $105 \%$ से कम नहीं होगी। इसमें बीमालेखन संबधी निणययों के कारण，मूत्य $105 \%$ से कम नहीं होगी। इसमें बीमालेखन संबंधी निणयों के कारण，मुत्यु
की तिधि तक अगर पालिसी पर कोई अतिरित्त राशि प्रभारित की गई हो तथा राइड प्रीमियम，आगर हो तो उन्हें शामिल नहीं किया गया है।
निहित होने की तिथि（केवल तभी लागू，आग पॉलिली के आरंभ होने की तिथि को
बीमित व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष से कम हो）：अार पोलिी पूरी तरह से प्रभावी हो तीमित व्यक्ति की उम 18 वर्ष से कम हो）：अगर पॉलिसी पूरी तरह से प्रभावी हो
तथा निहित होने की तिथि तक बीमित व्यक्ति जीवित हो और इस निहित होने
 करने के लिए लिखित में अनुरोध प्राप्तन नहींटहाता है तो नितित होने की इस
तिथि को अथात 18 वर्ष की उस्र पूरी होने से मेल खाने वाली पॉलिसी वर्षांठ
 इस प्रकार निहत होने को निगम आर बीमित व्याक्ति के बीच करार माना जाएगा।
बीमित व्यक्ति को पॉलसी का सम्पूर्ण मालिक भाना जाएगा तथा प्रस्तावक या
उसके एस्टेट का उसमें कोई हित या अधिकार नहहं होगा। उसके एस्टेट का उसमें कोई हित या अधिकार नहीं होगा।
．राइडर हितलाभ：
 （UIN：512B209VO1）（अगर चृन्ता गया हो）：इस पॉलिसी के प्रोजन हेत दु द्धटना
को＂बाह्य हिंसक तथा दृथ्य माध्यमों से अचानक，अनपेक्षित और अनेच्छि रूप से होने वाली घटना＂के रूप में परिभाषित किया गया है।

 उपरोक्त उल्लेख के अधीन，प्रभावी पॉलिसी के अंत्गत एल दुर्द्टनात्मक मृत्यु तथा विकलोंगता हितलाभ राइडर को पोंलिसी के अंतर्गत
 इस राइडर को चुना गया है，इस राइए के अंतगात संरक्षित हितलाभ पूली
पॉंलिसी अवधध के दोरान या उस पॉलियी वर्षांत तक जब बीमित स्यक्ति की उम नजदीकी जन्मद्वि पर 70 वर्ष की हो，जो भी पहले हो，तक
उपलबध होंग，बशतं दुर्वरना की तिधि को पालिसी पूरी बीमा राशि के लिए प्रावी हो।
इस पॉलिसी के अंतर्ता सभी प्रीमियमों का भुगतान करने के बाद या उस
पॉलिसी वर्षांठ के बान
 का भुगान करने की आवश्थकता नही होगी। लेकिन，मूल पॉलिसी，जिससे
यह राइडर संलन्न है，के लिए प्रीमियम का भुगान 70 वर्ष की उस के यह राइडर संलन है，के लिए प्रीमियम का भुगतान 70 वर्ष की उम्र के
बाद भी， करना होगा।
द्र्ट्टना हितलाभ सहित सभी पॉलिसियों के अंत्रात जिसमें भारतीय जीवन
बीमान निगम से उसी व्यक्ति के जीवन पर जिस पर निम्नलिखित हितलाभ लागू हो，व्यक्तितत पॉलिसियों तथा समरह जॉलिसियों के अंत्गतंत अंतन्निंहित दर्टटना हितलाभ किसी भी घटना के लिए ₹ 100 लाख की दुर्षटना हितलाभ बीमा राशि से अधिक नहीं होगा। अगर एक से अधिक पौलीलियां हों तथा कुल दुर्घटना हिललाभ बीमा राशि ₹ 100 लाख से अधिक हो तो पॉलिसियों
की जाी करने की तिथि के क्रम से प्रथम ₹ 100 लाख की द्येटना हितलाभ बीमा राशि लागू होगी।
आगर इस पॉलिसी के पूरी बीमा राशि के लिए प्रभावी रहने के दैरान किसी मूय बीमित व्यक्तित किसी द्येटना का शिकार होता है तथा उसके जख्यी
होने के 180 दिनों के अंदर पर्णत इसी प्रव्या कारा से जो कि सथी दूसे कारणों से स्वतंत्र हो，（अ）या तो स्थायी एवं पर्ण विकलांगता या शिकार होता है या（ब）उसकी मूत्य हो जाती है，जो कि निलम के लिए
संतेषनक रुप से प्रमाणित हो，तो निगम निम्नलिखित के लिए सहमत है：
（अ）．बीमित व्यक्ति की विकलांगता：（i）इस पॉलिसी के अंत्गात 10 वष्षों की अवधि
में सममन मासिक किस्तों में देटना होलाभ बीमा राशि के समान अतीरिक्त राशि का भागतान करना．आर 10 वर्ष की कधित अवधध की समाप्ति से पहले मृत्यु या परिपक्वता के कारण पॉलिसी के अंतर्गत दावा उत्पन्न होता है，तो वैकलांगता हितलाभ की किस्तों का जो कि देय नहीं हुई हो，दावे
 काई हों，का माफ कर दिया जाएा（मूल पोलिसी）किसी अन्य
लिए प्रिमियन，अार चुना गया हो，का भुगतान जारी रखना पड़े।
प्रीमियम की माफी，इस पॉलिसी के अंतगता सभी विकल्पों के तथा इस
प्लोज के 4．A．（b）के द्वारा संरक्षित हितलाभों को समाप्त कर देगी सिवया एसे आश्वासनों के，आरार कोई हों，जो कि बीमित व्यक्ति की सभी मोज़ाया पॉंलिसियों के अंतर्गत कुल दुर्ट्टना हितलाभ बीमा राशि के ऊपर हों，जिन्हें मीमियमों के निर्त्तर भुगान के द्वारा प्रभावी रखा गया हो।
ऊपर संदर्भित विकलांगता，ऐसी विकलांता होनी चाहिए जो किसी＇दुर्घटना＇
का परिणाम हो तथा पूर् व स्थायी होनी चाहिए। दृघ्पटनात्मक चोट जो अन्य सभी कारणों से स्वितंत्र तथा दृर्घटना के होने से 180 दिनों के अंदर एसी विकलांगता का कारण बने，जिससे बीमित व्यक्ति，दैनिक जीवन（नीचि बिनाषित）कीसी बाहीम्नलिखित मदद गतीविविधियों में से कम से कम 4 （चार）को
जिमें यांत्रिक उपकरण विशेष सधधन या अन्य मदद भी शामिल है，को करने से स्थायी रुप से असमथ हो，को पूर्ण नथा स्थायी विकलांगता माना जाएगा। निगम द्रारा अधिकृत चिकिल्सक द्वारा
ीमित जीवन की जांच करके उसका विकलेंगता को पूर्ण व स्थयी के रूप मेंमित्रमावित किया जाएगण।
of Absolute amount assured to be paid on death i．e．Basic Sum Assured or 10 times of Annualized Premium． Diid exeath Benefit shall not be less than $105 \%$ of the total Premiums underwriting decisions and Rider Premium（s），if any，as on date of
death．
3．Date of Vesting（Applicable only if the age of the Life Assured Life Assured is alive on the vesting date and if a request in writing for surrendering he poricy thas not been received by corporation betor such vesting date from the person entitled to the policy moneys，this
policy shall automatically vest in the Life Assured on such vesting date ie．e on the policit anniversary coincididg with or immediately
following the completion of 8 years of agea and shall on such vesting be deemed to be a contract between the Corporation and the Life policy and the proposser or his estate shall cease to have any right

## ．Rider Benefits：

A．$\frac{\text { LIC＇s Accidental Death and Disability Benefit Rider（UIN：}}{512 \mathrm{~B} 209 \mathrm{~V} 01 \mathrm{I} \text {（if opted）：An＇Accident＇}}$ $\frac{512 B 209 V 01) \text {（if opted）：An Accident t for the purpose of the }}{\text { policy is defined as＂An Accident is a sudden，unforese }}$ and involuntary event caused by external，violent and visib LIC＇s Aci payment of additional premium．This benefit will not the available under the policy on the life of minors，during minority of the Liit
Assured．However，this Rider will be available from the policy asniversary following completion of age 18 years on receipt of
specific request and payment of additional premium if foun speent equest an paynen ref of the Corporation．
eligibe as per the underwiting rule of
Subject to as stated above，under an inforce policy the Accidenta
Death and Disability Benefitt iider can be oppted for at any tim Death and Disability Benefit Rider can be opted for at any time
within the Premium Paying Term of the Base Policy provided the outstanding Premium Paying Term of the Base Policy is atleast years．Wherever this rider has been opted
the benefits covered under this Rider will be available during the policy term or upto the policy anniversary on which the age
nearer birthday of the Lite Assured is 7 years hicher earier，provided the Policy is in force for the full Sum Assured as
on date ot accident． paid after all premiums under this Policy have been paid to and atter the policy anniversary on which the age nearer birthday of the Lifie Assured is 70 years，whichever is earlier．However，the
premium under the Base Policy with which this rider is atta premium under the Base Poilicy with which this rider is attached
shall continue to be paid beyond age 70 years till the end of
Premium Paying Term．wherever applicable The maximum aggregate limit of assurance under all policies
includuing policies with in－built Accident Benefit taken with Lite Insurance Corporation of India under individual policies as well
as group policies on the same life to which asply shall not in any event exceed Rs． 100 lakhs of Accident Benefit Sum Assured．If there be more policies than one and the total Accident Benefit Sum Assured exceeds Rs． 100 lakhs
the benefits shall apoly to the first Rs． 100 lakhs Accident Benefit the benefits shall apply to the first Rss． 100 lakhs
It the Life assured is involved in an accident at any time when
this Policy is in force for the full Sum Assured，and such injury shall within 180 days of its occurrence solely，directly and
independently of all other causes result in（a）either poll independenily of alio ther causes result in（a）etiner pert at
and total disabillt as Life assured and the same is proved to the satisfaction of the ation agrees in case of：
（a）．Disability to the Life Assured：（i）pay additional sum equal to
the Accident Benefit Sum Assured in equal monthly instalments spread over 10 years under this Policy．If the policy becomes
a claim by the way of death or maturity before the expiny of the said period of 10 years，the disability benefit instalments which have not talen due will be paid along with the claim and（ii）waive
the payment of future premiums chargeable it any under the the payment on fure remium under Base Policy）to the extent of
policy（including the premiun Accident Benefit Sum Assured．The premium for any other Rider，
if opted for，shall continue to be paid．
The waiver of premium shall extinguish all options under this
policy and the benefits covered by 4．A．（b）of this clause except as to such assurances，if any，as exceeds the total accident benefit sum assured under all the existing policies of the life
assured and which may have been kept in force by continued payment o
The disability abover referred to must be disability which is
the result of an＇Accident＇and must be total and permanent． Accidental injuries which independently of all other causes and
within 180 davs trom the hapoening of such acident result within 180 days trom the hapening of such accident resurt
such disability due to which life assured is unable to periorm al least 4 （four）of the following Actititied of Daily Livivg（defined
below）permanenty without ancexternal helilsuport including the use of mechanical equilpment，special devices or other aids
then such disability shall
te treated as Total then such disability shail be treated as Total and Permaneen the life assured to certity the disability as Total and Permanent． The Activities of Daily Living are．
Dressing－the ability to put on and take off all necessary
garments，artificial limbs or other surgical appliances that are medically necessary
Washing－the ability to wash to maintain an adequate level of
cleaniness and personal hygiene

| पररशिष्ट IV |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | कुल अदा किए गए प्रीमियमों पर लागू गारंटीड सरेन्डर मूल्य घटक |  |  |
|  |  | पॉलॉली अवधि（्रीमियम भुगाना अवधि）．．．＞ |  |  |
|  |  | 16 （10） | ${ }^{21(15)}$ | 25 （16） |
| $\begin{aligned} & \text { 若 } \\ & \text { 蔵 } \end{aligned}$ | 1 | 0．00\％ | 0．00\％ | 0．00\％ |
|  | 2 | 0．00\％ | 0．00\％ | 0．00\％ |
|  | 3 | 30．00\％ | 30．00\％ | 30．00\％ |
|  | 4 | 50．00\％ | 50．00\％ | 50．00\％ |
|  | 5 | 50．00\％ | 50．00\％ | 50．00\％ |
|  | 6 | 50．00\％ | 50．00\％ | 50．00\％ |
|  | 7 | 50．00\％ | 50．00\％ | 50．00\％ |
|  | 8 | 53．75\％ | 52．30\％ | 51．80\％ |
|  | 9 | 57．50\％ | 54．60\％ | 53．50\％ |
|  | 10 | 61．25\％ | 56．90\％ | 55．30\％ |
|  | 11 | 65．00\％ | 59．20\％ | 57．10\％ |
|  | 12 | 68．75\％ | 61．50\％ | 58．80\％ |
|  | ${ }^{13}$ | 72．50\％ | 63．80\％ | 60．60\％ |
|  | 14 | 76．25\％ | 66．20\％ | 62．40\％ |
|  | 15 | 80．00\％ | 68．50\％ | 64．10\％ |
|  | 16 | 80．00\％ | 70．80\％ | 65．90\％ |
|  | 17 |  | 73．10\％ | 67．60\％ |
|  | 18 |  | 75．40\％ | 69．40\％ |
|  | 19 |  | 77．70\％ | 71．20\％ |
|  | 20 |  | 80．00\％ | 72．90\％ |
|  | 21 |  | 80．00\％ | 74．70\％ |
|  | 22 |  |  | 76．50\％ |
|  | ${ }^{23}$ |  |  | 78．20\％ |
|  | 24 |  |  | 80．00\％ |
|  | 25 |  |  | 80．00\％ |
| पररशिष्ट V |  |  |  |  |
| निहित बोनसों पर लागू गारंटीड सरेन्ड़ मूल्य घटक |  |  |  |  |
|  |  | पॉलिसी अवधि（्रीमियम भुगतान अवधि）．．．＞ |  |  |
|  |  | 16 （10） | ${ }^{21}(15)$ | 25 （16） |
| $\begin{aligned} & \text { E } \\ & \text { E } \\ & \text { 若 } \end{aligned}$ | 1 | 0．00\％ | 0．00\％ | 0．00\％ |
|  | 2 | 0．00\％ | 0．00\％ | 0．00\％ |
|  | 3 | 17．58\％ | 15．93\％ | 15．28\％ |
|  | 4 | 17．66\％ | 16．22\％ | 15．42\％ |
|  | 5 | 17．85\％ | 16．5\％ | 15．55\％ |
|  | 6 | 18．16\％ | 17．03\％ | 15．72\％ |
|  | 7 | 18．60\％ | 17．58\％ | 15．93\％ |
|  | 8 | 19．18\％ | 17．58\％ | 16．22\％ |
|  | 9 | 19．93\％ | 17．66\％ | 16．58\％ |
|  | 10 | 20．85\％ | 17．85\％ | 17．03\％ |
|  | 11 | 21．99\％ | 18．16\％ | 17．58\％ |
|  | 12 | 23．38\％ | 18．60\％ | 17．58\％ |
|  | 13 | 25．05\％ | 19．18\％ | 17．66\％ |
|  | 14 | 27．06\％ | 19．93\％ | 17．85\％ |
|  | 15 | 30．00\％ | 20．85\％ | 18．16\％ |
|  | 16 | 35．00\％ | 21．99\％ | 18．60\％ |
|  | 17 |  | 23．38\％ | 19．18\％ |
|  | 18 |  | 25．05\％ | 19．93\％ |
|  | 19 |  | 27．06\％ | 20．85\％ |
|  | 20 |  | 30．0\％ | 21．99\％ |
|  | 21 |  | 35．00\％ | 23．38\％ |
|  | 22 |  |  | 25．05\％ |
|  | 23 |  |  | 27．06\％ |
|  | 24 |  |  | 30．00\％ |
|  | 25 |  |  | 35．00\％ |

शर्त यह है कि, जहां बीमा कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2015 के आंभ होने से
जहले बीमित व्यक्त के पली या उसकी पली तथा बच्चों या उनमें से किसी पे पक्ष पहले बीमित व्यक्ति के पली या उसकी पली तथा बच्च्चं या उनमें से किसी के पक्ष
में अभिव्यक्त रूप से नामांकन किया गया हो, चाहे वह पॉलिसी पर अंकित हो या नहों, जैसा कि इस धारा के अंतर्गत किया गया है, कथित धारा 6 पॉलिसी पर लागू नहीं मानी जाएगी या लागू नहीं होगी।

## परिशिष III

## बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938 के अनुसार धारा 45

जीवन बीमा की किसी पॉलिसी को, पॉलिसी की तिथि से अथात पॉलिसी के जारी होने की तिधि या जोखिम के आरंभ होने की तिधि से या पॉलिसी के पुन्नवलन की तिथि से या पॉलिसी पर राइडर की तिथि से तीन वर्षों की समाप्ति पर, जो भी बाद
में हो, किसी भी आधर पर प्न के लिए बलाया नहीं जा सकात है। में हो, किसी भी आधर पर प्रश्न के लिए बुलाया नही जा सकता है।
जीवन बीमा की किसी पॉलिसी को, पॉलिसी के जारी होने की तिथि या जोखिम आरंभ
होने की तिथि या पॉलिसी के पन्नचलन की तिथि से या पॉलिसी के राइडर की तिथि ती वष्षों के अंदर किसी भी समय, जो भी बाद की तिथी हो, धोखाधड़े के आधार पर प्रश्न के लिए बुलाया जा सकता है।
उशत्ते बीमाकर्ता द्वारा बीमाधारक को या बीमाधारक के कानूनी प्रतिनिधि या नामितों या अभ्यार्पिंों को लिखित में उन आधरों तथा तथ्यों के बारे में सूचित करना होगा, जिनके आधार पर यह फैसला लिया गया है।
स्प्रीकरण I: इस उप-धारा के प्रयोजन हेत, "धोखोधड़ी" का अर्थ है बीमाधारक या उसके एजेन्ट द्वारा बीमाकर्ता को धोखा देने या बीमाकर्ता को जीवन बीमा पॉलिसी जारी रने के लिए प्रभावित करने के इ्रादे से किया गया निम्नलिखित में से कोई कार्य:
अ. सुझाव, जिसका तथ्य सही नहीं है तथा जिसकी सत्यता पर बीमाधारक
विश्वास नहीं हैं
ब. बीमाधारक द्वरा किसी तथ्य को छिपाना, जो उसकी जानकारी में था या उसकी पर उसे विश्वास था
स. धोखेधड़ी के इरादे से उठाया गया कोई अन्य कदम; तथा
द. कोई अन्य ऐसा कदम या भूल-चूक जिसे कानून विशेष रूप से धोखाधड़ी मानता हो
सहीकरण II: बीमाकता द्वारा जोखिम के आंकलन को प्रभावित करने वाले तथ्यों के
 अन्यथा उसकी खामोशी अपने आप में बोलने के तुल्य हो।
उपधारा (2) में कुछ भी निहित होने के बावूूद, काई भी बीमाकता किसी जीवन बीमा पॉलिसी को धीखधड़़ के आधार पर अस्वीकृत नहीं कर सकता है, आगर बीमाधारक/ लाभार्थी यह प्रमाणित कर सके कि उसके द्वारा की गई गलतब्यानी उसकी अधिकतम नकीं की या कधित गहताबयानी या महन्तपण्ण तथ्य को छिप्यापया जाना बीमाकती की जानकारी में था। धोखेधड़ी के मामले में इसे
पॉलिसीधरक जीवित नहीं है।
सपष्टीकरण - कोई व्यक्ति जो बीमा की संविदा का आगतह और उसकी सौद्बाजी करता है उसे संविदा के प्रयोजन के लिए बीमाकता का एजेन्ट माना जाएगा।
जीवन बीमा की किसी पॉलिसी को पॉलिसी के जारी करने की तिथि से या जोखिम के आरंम होने की तिथि से या पॉलिसी के पुनचलन की तिधि से या पॉलिसी के राइडर की तिथि से तीन वषां के अंदर, जो भी बाद में हो, किसी भी समय, इस आधार पर र्शन के लिए बुलाया जा सकता है कि बीमित व्वक्ता के जनिकाल स संबधित किसी गरी की गई थी या पर्नलतन की गई थी या राइडर जारी किया गया था, छिपाया गया था या गलत दिखाया गया था।
यह है कि बीमाकता द्वारा बीमाधारक को या बीमाधारक के कान्नी प्रतिनिधि या नमांकित व्यक्तियों या अभ्यार्पितों को लिखित में उन आधरों तथा तथ्यों के बारे में सूचित करना होगा, जिनके आधार पर जीवन बीमा को पॉलिसी को अस्वीकृत करने का यह कैसला लिया गया है।
आगे शर्त यह है कि महत्त्पप्ण तथ्य की गततबयानी या छिपाए जाने के आधार पर लॉलिसी को अस्वीकृत किए जाने तथा धोरोधड़ी की स्थिति न होने पर, अस्वीकृति
 से नब्बे दिनों के अंदर कर दिया जाएगा। स्पष्टीकरण - इस उप-धारा के प्रयोजन हेतु, किसी तथ्य की गलतबयानी या छिपाए जाने को तब तक महत्वप्यण नहीं माना जाएगा, जब तक कि उसका बीमाकता द्रात्व
च्वीकार किए गए जोखिम पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव न हो, यह प्रमाणित करने का दायित्व बीमाकरा का होगा कि अगर बीमाकर्ता को स्थापित तथ्य की जानकारी होती तो वह कीमाधारक को यह जीवन बीमा पॉलिसी जारी नहीं करत
5. इस धारामें निहित कुछ भी बीमाकरा को किसी भी समय उम्र का प्रमाण मांगने से नही रोकती है, अगर वह इसके लिए अधिकृत है तथा किसी पोलिसी की सिफ़ इसालए
पश्न के लिए बबलाय नहीं जा सकता है व्योंक प्रस्ताव में गलत उत्लेख की गई बीमित थक्ति की उम्र को सबत के आधर पर बाद में समायोजित किया गया था।

Provided that where a nomination made whether before or atter the Provided that where a nomination made whether before or atter the
commencment of the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015 , in
favour of the wite of the person who has insured his life or of his wife and children or any of them is expressed, whether or not on the face of the policy, as being made under this section, the said section
shall be deemed not to apply or not to have applied to the policy.

## Annexure III

## Section- 45 as per Insurance

1. No policy of life insurance shall be called in question on any
ground whatsoever after the expiry of three years from the date o the policy ie from the date of issuance of thears from the date commencement of risk or the date of revival of the policy or the date of the rider to the policy, whichever is later
2. A policy of life insurance may be called in question at any time within
three years from the date of issuance of the policy or the date of commencement of risk or the date of revival of the policy or the date of the rider to the policy, whichever is later on the ground of fraud: Provided that the insurer shall have to communicate in writing to the insured or the legal representatives or nominees or assignees of the Explanation 1 -For the purposes of this sub-section the expressi "fraud" means any of the following acts committed by the insured or by his agent, with the intent to deceive the insurer of to induce the instissue a te aliay:
a) the suggestion, as a fact of that which is not true and which the
b) the active concealment of a fact by the insured having knowledge or belief of the fact;
c) any other act fitted to deceive; and
d) any such act or omission as the law specially declares to be
fraudulent. Explanation II-Mere silence as to facts likely to affect the assessme of the risk by the insurer is not fraud, unless the circumstances insured or his agent, keenard being had tone is, in itself, equivalent to speak.
3. Notwithstanding anything contained in subsection (2), no insure
shall repudiate a life insurance policy on the ground of fraud the insured can prove that the misstatement of or suppression of a material fact was true to the best of his knowledge and belief or such misstatement of or suppression of a material fact are within the Provided that in case of fraud, the onus of disproving lies upon the beneficiaries, in case the policyholder is not alive.
Explanation - A person who solicits and negotiates a contract contract, to be the agent of the insurer.
A policy ol lite insurance may be called in question at any time with three years from the date of issuance of the policy or the date o
commencement of risk or the date of revival of the policy or the date of the rider to the policy, whichever is later, on the ground that any statement of or suppression of a fact material to the expectancy of document on the basis of which the policy was issued or revived rider issued:
the insured the insurer shall have to communicate in writing of the insured the grounds and materials on which such decision to repudiate the policy of life insurance is based:
Provided further that in case of repudiation of the policy on the ground of misstatement or suppression of a material fact, and not on the ground of fraud the premiums collected on the policy till the date or minees or assignees of the insured within a period of ninet Explanation. - For the purposes of this sub-section, the misstatement
of or suppression of fact shall not be considered material unless is on the insurer to show that had the insurer been aware of the said fact no life insurance policy would have been issued to the insured.
4. Nothing in this section shall prevent the insurer from calling for proof
of age at any time if he is entitled to do so, and no policy shall be deemed to be called in question merely because the terms of the
policy are adiusted on subsequent proof that the age of the life insured was incorrectly stated in the propos

दैनिक जीवन की गतिविधियां ये हैं
प्रसाधन - सभी आवश्यक वस्त्र, कृत्तिम अंग या अन्य सर्जिकल उपकरणों
को, जो कि चिकिलीय दृहि से उरूी हो, पहनने और उतारने की क्षमता धुलाई - अपनी स्वच्छता तथा आरोग्य को उचित रुप से बनाए रखने
के लिए नहनेन-धने की योय्यता
भोजन करना - भोजन उपलध्ध होने पर उसे थाली या कटोरी से लेकर भुंह में डालने की योग्यता
शौच क्रिया - शैचालय का इस्मेलाल करने की योगता या अन्य तरीके
से मलमूत्र त्याग करने की क्षमता ताकि निजी स्वच्छता का संतोषजनक से मल-पूत्र बन्याग करने की क्षमता ताकि निजी स्वृ्छता का सताषजनक तनिशीलता - घर में समतल स्थान पर एक कमरे से दूसरे कमरे तक ाने की योग्यता
स्थानान्तरण - बिस्तर से उठकर कुर्सी या च्हील चेयर पर बैठने तथा
इसकी विपरीत गतिविध्धि की क्षमता इसकी विपरीत गतिविधि की क्षमता
उपरोक्त बातों के बाबजदद, दर्द्रटना के कारण लगी चोट से आगर अन्य सभी
कारणों से स्वतंत्र तथा ऐसी दुर्टना के होने से 180 दिनों के अंदर, दोनों आंखों की सम्प्र्ण दृष्टि की असंशेध्य हानि या दोनों हाथां का कलाई या इसके ऊुपर से विच्छेदन या दोनों फैरों का टखनों या इसके ऊपर से तथा एक पर का टखने
भाना जाएग।
विकलांगता के घटित होने के बाद, इसके 90 द्नोंगं के अंदर निगम के इस
पोंलिसी को सेथा प्रदान करने वाले कर्यालय में लिखित रुप से बीमित व्यक्ति


 आरा किसी भी समय पर ज्ञात होता है कि इस क्लॉज के अंत्रात दावे को
गलत तरीक के स्वीकार किया गया है तो इस बारे में निगम को सृचित लित तरीक के स्वीकार किया गया है, तो इस बारे में निगम को सूचित
कि जाने की तिथि के बाद देय सभी पीमियमें का देय तिथियों को भगतान करना होगा तथर सभी बीद द्रेयमयों, जिजकी प्रीमियमों का मादे तिथियों को भुगतानान स्समाल किया गया था तथा अतिरिक्त बीमा राशि की सभी किस्ते, जिनका
भुतान बोमित व्यक्ति को किया गया था, निगम को एकमपेत्त रकम के रुप

(i) पॉलिसी के अंतगत्गत उपलबध हितलाभों को इस प्रकार घटा दिया जाएगा, जया दो प्रोमियमों की माफ़ की तिथि को पॉलिसी को स्थित किया
को जो अी पतिर्त बीमाराशि की पहली किस्त के भुगतान की तिथि को, जो भी पहले हो तथा
(ii) अतिरिक्त बीमा राशि की अदा की जा चुकी किस्तों को उत्त पॉलिसी
पर अण माना जाएगा तथा पॉलिसी की धन्राशि से समय-समय पर पर कण माना जाएगा तथा पॉलिसी की धनराशि से समय-समय पर
निगम द्वारा निर्धारित दर से ब्याज के साथ काट लिया जाएगा।
चह मानते हुए कि कोई विकलांगता नहीं है अतिरिक्त दुर्येना हितलाभ बीमा यह मानते हुए कि कोई विकलांगता नही है औतीरेक्ता
राशि के लिए कोई अन्य किस्त/तं देय नहीं होगी।
(ब). बीमित व्यक्ति की मूत्यु: मूल पॉलिली के अंतर्गात मूल्य हितलाभ के अलावा,
इस पॉलिसी के अंतगत दूर्घटना हितलाभ बीना राशी के समान अविक्त सशी का भागतान किया जाएगा। लेकिन पॉलिसी द्यंटना के समय प्रभावी होनी राशी का भुतान किया जाएगा। लिकेन पॉलिसी दूघंटना के
चाहिए। भले ही वह मूट्य के समय प्रभवी हो या न हो। आगर बीमित व्यक्ति की मृत्य निम्न कारणों से हो, तो निगम द्वारा ऊपर
उल्लेख की गई अतिरित्त बीमा राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा।
 गा नार्कोटिक के पभाव में हो (अगर डॉक्टर द्वारा उपचार के अंतर्गत यू न्राकोटक के प्रभाव में हो
प्रस्क्रव न किया गया हो);
या
(ii) दो, जन विद्रोह, बगावत, युद्ध (चाहे घोषित किया गया हो या नहीं),
आक्रमणण, शिकार, पवतारहहण, स्टीपल चेजिंग, किसी प्रकार की रे, पैरग्लायडिंग या पैरशशूटेंग, एडवेन्नर्स स्पोर्टस में भाग लेना; या
(iii) बीमित व्यक्ति द्वारा किसी आपराधिक इ्रादे के साथ कोई आपराधिक कार्य करना; या
(iv) (अ) बीमित व्यक्ति के सशस्र बल या सैन्य सेवा में रोजगार के कारण
उत्पन्न। यह अपवर्जन उस समय लायू नहीं है अर बीमित व्यक्ति
 देश में किसी प्राक्ततिक
कार्य में शमिल था, य
(ब) अर्द्रसैनिक बल को छोडकर किसी प्रलिस संगठन में प्रलिस ख्याटी में
शमेल होने के कारण (जिसमें प्रशसनिक कायभार शमिल नहीं है। यह अपवर्जन तब लागू नहीं हैं जब पु पुलिस ङ्यूटी में शामिल होने के कारण

(v) बीमित व्यक्ति की दुर्ट्टना की तिथि से 180 दिनों के बाद घटित होना।
घ
 लेकिन आर इस राइडए को चुना गया हो और उस मूल पॉलिसी को अभच्यपण किए जाने पर, जिससे यह राइडर जुड़ा हो, बशतनें इस राइडर तथा मूल पोलिसी ने संबंधित सभी देय प्रीमियमों का भुगतान कर दिया गया हो तथा मूल पॉलिसी ने सरेन्डर मूल्य प्राप्त कर लिया हो, प्रीमियम भुगानान अवधि के बाद संरक्षण के
संबंध में लिया गया अतिरिक्त राइडर प्रीमियम निम्न अनुसार लौटा दिया जाएगा:

 राशि/ 1000 )* (वष्षों की संख्या, जिनके लिए इस राइडर के संबंध में प्रीमियमों
का भगतान किया गया है)

Feeding - the ability to transter food from a plate or bowl $t$ to
the mouth once food has been prepared and made available Toileting - the ability to use the lavatory or otherwise manage
bowel and bladder functions so as to maintain a satisfactory bowel and blaadder functions so as to maintain a satistactio
level of personal hygiene Mobility - the ability to move indoors from room to room on
level surfaces at the normal place of residence Transferring - the ability to move from a bed to an uprigh
chair or wheel chair and vice versa Notwithstanding what is mentioned above, Accidental injuries which independently of all other causes and within 180 days from
the happening of such accident, result in the irrecoverabel the entire sight of both eyes or in the amputation of both hands a or above the wrists or in the amputation of both feet at or abo one foot at or above the ankle, shall also be deemed to constitute such disability
After the happening of the disability, full particulars thereof must
begiven in wititing to the office of the Corporation where this Policy be given in writing to the officie of the Corporation where this Polic
is serviced together with the then address and whereabouts of the Lite Assured and within 90 days of the happening of the
disability, must be given to the servicing Office of the Corporation, disabiity, must be given tothe senvicing Ofitice of the Corporation
in the manner required by it, proof of disability satistactory to th Corporation and without any expense to the Corporation. Medical
Examiner authorized by the Corporation shall examine the Life Assured and certify in respectof of any disabibity clamed atter the intimation. Further, medical examination may be done to valida
the continuity of disability on case to case basis, if required.
 paid on due dates and further all premiums for which waver wes wrongly claimed and all instamments of additional sum assured the Corporation in one lump sum with interest, at such rate as
fixed by the Corporation from time to time as if no disability had which
(i) the benefits available under the policy shall stand reduced as
it the policy has been discontinued as on the date from which premiuns have been waived or on the pepament on the firis
instalment of the additional sum assured, whichever is eariie and
(ii) the instalments of additional sum assured already paid shall
be treated as a debt against the said policy and shall be deducted with interest at such rate as fixided by the C
trom time to t tine trom the proceeds of the policy
No further instalment/s of additional Accident Benefit Su
Assured shall be payable considering as if no disability ha Assured
occurred.
(b). Death of the Life Assured: II addition to Death Benefit under th
Base Policy, an additional sum equal to the Accident Benefit S Base Poicicy, an additional sum equal to the AAccident Eenentit Suln
Assure shall be payable under this policy. However, the polic shall have to be in force at the time of acciden
whether or not it is in force at the time of death.
The Corporation shall not be liable to pay the additional sum
referred in (a) or (b) above, it the disability or the death of the Life
(i) be caused by intentional self injury, attempted suicide
 influence or consumption of intoxicating liquor, narcotic or
drug (unless prescribed by doctor as a part of treatment); or
(ii) be caused by injuries resulting from taking any part in riots,
civil commotion, rebellion, war (whether war be declared of civil commotion, rebellion, war (whether war be declared of
not), invasion, huntin, mountaineering, steeppe chasing not, invasion, hunting, mountaineering, steeppe chasing
racing of any kind, paraagliding or parachuting, taking part in adventurous sports; or
(iii) result from the Life Assured committing any criminal act with
criminal intent; or
(iv) (a) arise from employment of the Life Assured in the armed it the Life Assured was involved in an accident when he is not on duty or was involved in any rescue operations whil combating natural calamities in our country; or
(b) arise from being engaged in police duty (which excludes
administrative assignments) in any police organization amministrative assignments) in any police organization
other than paramilitary forces. This exclusion is applicable where the option to cover Accidental Deat
and Disability Benefit arising on accident while engaged in police duty, has been chosen; or
(v) occur atter 180 days from the date of accident of the Life Benefits payable on surrender of Base Policy. This sider shall nol
aqquire ann Paid-up Value and no surender value will be avaiable
under this rider. However. if this rider has been opted for and on under this rider. However if this rider has been opted for and on
surrender of the Base Policy to which this rider is attached, provide
all he e due premiums in all the due premiums in respect of this rider and Base Pooicy have been paid and the Base Policy has acquired surrender value
additional rider premium charged in respect of cover after premiur
paying paying term shall be refunded as follows.
In case of Surrender during Premium Paying Term: $80 \%$
(annualised rider premium per Rs. 1000 Accident Benefit Sun
 In case of Surrender atter Premium Paying Term: $80 \%$ * annualised
rider premium per Rs. 1000 Accident Benefit Sum Assured -1 )

 के लिए बकाया आवधध/ /इस राइडर के संबध में पॉलिसी अवधधि- राइडर के लिए
प्रीलियम भुगतान अवधि) जहां कहीं भी वार्बिकीकृत राइएर प्रीमियम का उल्लेख किया गया है, उसमें कर शामिल
नहीं हैं। एलआाइडी का न्यू टर्म एश्योरेन्स राइडर (UIN: 512B209v01) (अगर चुना ला हाइ: का न्यू टर्म एथथोरेस्स राइडए पॉलिसी के आरंभ में अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर उपुल्ध है। इस राइडर के लिए अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान मूल
पॉलिसी तथा किसी अन्य राइडर के प्रीमियम के साथ किया जाता है, अगर उसे लिसी तथा किसी भगतान अवधि के दौगन चुना जाता है, तो पॉललिसी अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की मुल्यु होने पर, वर्म
एश्योग्स बीमा राशि के समान अतिरिक्त राशि का भुगान किया जाएगा, वशते उडर कवर प्रभावी हो।
भारतीय जीवन बीम निगम से बीमित व्यक्ति की समस्त मौजूदा पॉलिसियों, जिसमें
विचाराधीन नया प्रस्ताव भी शामिल है, के अंतर्गत सभी टमे एशयेगेस्स राइडसे के विचारान नया प्रस्ताव भी शामिल है, के अंतर्गत सभी टर्म एश्योर्न राइडर्स के
सहित इस राइए के लिए अधिकतम संरक्षण ₹ 25 लाख से अधिक हो तो हितलाभ जारी की गई पॉलिसियों की तिमि
राइडर बीमा राशि पर लाग होगा।
मूल पॉलिसी के अभ्यर्पा पर देय हिताभ: यह राइडर कोई चुकाता मूल्य प्राप्त
नहीं करेा तथा इस राइए के अंतरात कोई अभ्यर्पण मूल्य उपलाध्ध नहीं होगा। किन आर इस राइडर का चुना गया हो और उस मूल पॉलिसी को अध्यापणण किए जाने पर, जिससे यह राइडर जुडा हो, बश्रों इस राइइए तथा मूल पॉलिसी
संबधित सभी दय प्रीमियमों का भुगतान कर दिया गया हो तथा मूल पॉलिसी
 संबंब में लियो
दिया जाएया

## ीमियम भुगतान अवधि के दौरान अभ्यर्पण की स्थिति में

$75 \%^{*} \mathrm{~d}^{\star}$ (Pppt-P)* ${ }^{*}$ (टर्म एश्योरेन्स राइडर बीमा राशि/ 1000
\%* Ppot* ( (र्य स्थ)
\%** Pppt* ( डमम पश्योर्स राइडर बीमा रशि/1000)*(ppt/n)** (n-t)
 $n=$ समतुल्य य वृलर वाष्के नियमित प्रीमियम प्रति ₹1000/- आरंभ में बीमित वर्ष्ष की उम्र पर लामू टर्म एश्योर्स्स राइडर बीमा राशि तथा राइडर की अवधि (उपयोक्त प्रीमियम में बीमालेखन
अतीरिक्त राशि शमिल नहीं है)
$=$ अभ्यपण की तिधि को पूर्ण वष्ं में समाप्त हुई पॉलिसी अवधि $\mathrm{n}=$ राइडर की अवधि
$\mathrm{ppt}=$ राइडर की प्रीमियम भुगतान अवधि
$t=$ अभर्यर्पण की तिधि को नजदीकी पूर्ण वषों में समाप्त हुई पॉलिसी अवधि लाभो में प्रतिभागिता: पॉलिसी के पूरी तरह ह पे प्रामी होनेने पर, निगम के अनुभव
के आधार पर पॉलिसी समय-सम पर संशीधित एलआईसी अधिनयम 1956 की धारा 28 के प्रावधानों के अनुसार लाभो में प्रतिभागिता करेगी तथा यह पॉंलिसी नगगम द्वरा घोषित दर और शताँ के अनुसार सरल प्रत्यावर्ती बोनस की पात्र होगी। सरल प्रत्यावर्ती बोनसों की घोषणा वार्षिक रुप से प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति
पर की जाएी, बशतं पोलिसी पूरी तरह से प्रभावी हो। एक बार घोषित किए जाने पर वे प्लान के गारंड़ हितलाभों का हिस्सा होंीी। सरल प्रुयावर्ती बोन्रों को
पॉलिसी के आरंभ होने की तिधि से चुनी हुई पॉंलिसी अवधि या मृत्यु होने तक, जो भी पहले हो, जोड़ा जाएगा।
चुकता पॉंलिसी के मामले में, निहित बोनसों का भुगतान तभी किया जाएया, आर
कम से कम तीन पूरे ववों के प्रीमियम भरे गए हों। अग पीकिमिमों का विधिवत भुगतान नहीं किया गया हो तो पॉलिसी लाभो आगर पॉलिसी को अभु्यरण किया जाता है, तो निहित बोनसों का समेन्दर मूल्य,
 पॉलिसी के अंतर्गतत अंतिम अतिरिक्त बोनेनस की घोषणा उस वर्ष की जा सकती जब मृत्य या परिपक्पता की उत्पन्न

ग्रान नहीं किया जाएगा।
(अ). पॉलिसीधारक को इस पॉलिसी दस्तावेज की अनुसुरी में विनिर्धारित देय
तिथियों पर प्रीमियम का भुगतान सेवा कर तथा समय-समय पर लाग किसी तितियों पर प्रीमियम का भुताना सेवावा कर तथा समुय-समय पर लगूू किसी
अन्य कर के सीथ करना होगा
(ब). रियायत अवधि: प्रीमियम भुगतान के वार्षिक, छमाही या तिमाही माध्धमों के
 उक प्रीमियम का भुगतान नहीं किया जाता है, पॉलिसी कालातीत हो जाएगी आगर बीमित व्यक्ति की मृन्यु रियायती अवधि के दौराना लेकिन तब देय
प्रामियम के भुतान से परले हो जाती है तो पोलिसी ान्य रहेी तथा उस प्रीमियम और पॉलिसी की आलली वर्षांठं से पहले देय भातान न कि
प्रीमियम को भी कोटकर हितलाभों का भागतान कर दिया जाएगा।
(स). आरा पॉलिसी प्रभाव है और पॉलिसी के अंतर्तात बीमित व्यक्ति की मूत्यु के
मामले में दवा दर्ज हुआ है, जहों प्रीमिय के भुगतान का माध्यम वार्षिक मामले में दावा दर्ज हुआ है, जहां मी पीमियम के भुगतान का माध्यम वार्षिक
माध्यम से भिन्न है, अगर किन्हीं प्रीमियम्स का भुगतान मृत्य के बाद नहीं किया गया है, और वे आगली पॉलिसी
दावे की राशि से काट लिया जाएगा।
(Accident Benefit Sum Assured/1000) * (premium paying term of the rider) * (outstanding term for the rider in ocompleted yearss ( (Polis
term in respect of this rider - Premium paying term of the rider)) Where annualised rider premium mentioned above excludes tax LC's New Assurance Rider (UIN 512 2B210V01) (If Opted): LC's New Term Assurance Rider is available at the inception of the
policy on payment of addititional premium. The additional premium for this Rider will need to be paid pang with the paremium of the Bas
Policy and any other rider, if opted for. during the premium eavin Policy and any other rider, if opted or, during the premium paying
termo t the policy. It this rider is is opted tor, on death of the Life Assurec during the eolicy term an addititonal amount eaual to Term Assurance
Rider Sum Assured shall be payable provided the rider cover is inforce.
The maximum cover for this rider shall be Rs. 25 lakhs taking all Term
Assurance Riders under all existing policies of the Life Assured taken from Life Insurance Corporation of India including the new propos under consideration. If there be more policies than one and if the
total Term Assuranee Rider Sum
sssurued exceeds sis. 55 lakks, the total Term Assurance Rider Sum Assured exceeds
benefits shall apply to the first s . 5 likhs Term
Sum Assured in order of date of policies issued.
$\frac{\text { Benefits payable on surrender of Base Policy: This rider shal }}{\text { not acquire any Paid-up Value and no surrender value will be }}$ available under this rider. However, it this rider has been opted and on surrender pue premiums in respect of this rider and Bas Policy have been paid and the Base Policy has acquired surrend value, additional Term Assurance Rider premium charged in respec
of Term Assurance Rider cover atter premium paying term shall be of Term Assurance
refunded as follows:
In case of Surrender during Premium Paying Term:
$75 \%$ * $\mathrm{d}^{*}$ (Propt-PD)* (Term Assurance Rider
In case of Surrender after Premium Paying Term:
$75 \%$ * Pppt *(Term Assurance Rider Sum Assured/1000)*(ppt Where:
Ppot =Tabular annual premium for the limited premium paying term
per Rs. 1000 - Term Assurance Rider Sum Assured at inception $\mathrm{P} n=$ Equivalent Tabular annual Regular premium per Rs. $1000 /$
Term Assurance Rider Sum Assured applicable to the Life Assured's Term Assurance Rider Sum Assured applicable to the Life Assured'
age at inception and term of the rider being n years. (Above Premiums excludes extra amount it charged under the policy
due to underwriting decisions.) $d=$ Policy duration elapsed in completed years as on date
surrender $\mathrm{n}=$ Term of the Rider
ppt=Premium paying term of the Rider
$\mathrm{t}=$ Policy duration elapsed in nearest completed years as on the date
of surrender
Participation in profits: Provided the policy is inforce, depending
upon the Corporation's experience the policy shall particiipate in in Participation in profits: Provided the policy is inforce, depending
upof therporation's experience the policy shall particiopate in in
profits in accordance with the provisions of Section profits in accordance with the provisions of Section 28 of LLC AC
1956 , as amended from time to to time and this solicy will be eligible tor Simple Reversionary Bonus at such rate and on such terms as may
be declared by the Corporation. be declared by the Corporation
Simple Reversionary Bonuses shall be declared annually at the
endo of each financial year provided the policy is inforce. Onc
declared they form partot declared, they form part of the guararteded benefit of the plan. Simp reversionary bonuses will be added from the date of commencemen
of policy until the selected policy term or till death, if it occurs earie: In case the premiums shall not be duly paid, the policy shall cease
to participate in future profits irrespective of whether or not the policy has acquired paid up value.
In the event of policy being surrendered, the Surrender Value of
vested bonuses, if any, as applicable on the date of surrender, will be payable Fear when the policy results into a claim either by death or maturity mial Additional Bonus shall not be paya er policie.
Payment of Premiums
(a).The policyholder ha
specified in the Schedule the premium on the due dates as Service Tax and or any other Tax as applicable from time to time. (b). Grace period: A grace period of one month but not less than
3 days shall be allowed for payment tof yearly or hal-yearly of
quarterly premiums and 15 days for monthly premium. If the quarterly premiums and 15 days for monthly premiums. If the
premium is not paid before the expiry of the days of grace, the Premium is no
Policy alasses.
If the death of the Life Assured occurs within the grace period but before the payment of the premium then due, the policy w
still be valid and the benefits shall be paid atter deductions stiil be valid and the beneelits shal be paid anter deductions of
the said unpaid premium as also the balance premium (s) , if
any, falling due from the date of death and before the next policy any, falling
anniversary.
(c). In case of death of Life Assured under an inforce policy where in
all the premiums due till the date of death have been paid and all the premiums duue till the data of doeath have beien paide and
where the mode of payment of premium is other than yearly where the mode of payment of premium is other than yeary
balance premiums, it any faling due from the date of death
and before the next policy anniversary shall be deducted from the and before the next policy anniversary shall be deducted tro
claim amount.
PART - D: CONDITIONS RELATEDTO SERVICING ASPECTS
Proof of Age: The premiums having been calculated on the age of
the Lite Assured as declared in the Proposal, in case the age is found

क सीमित होगी तथा ऐसा पॉलिसीधारक उसी पॉलिसी के अंतर्गत देय शेष राशि के लिए परशज्ट

## बीमा कानून (संशेाा धारा 39 अनुसार

जीवन बीमा की पॉलिसी का धारक अपने जीवन पर, पॉलिसी लेते समय या भुगतान
जतालिसी के परिपक्व होने से पहले किसी भी समय, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों तु पोलिसी के परिपक्व होने से पहले किसी भी समय, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों स्रित राशि का भागतान किया जाएया
शर्त यह है कि, आर नामित व्यक्ति नाबालिए हो, तो पॉलिसीधारक के लिए यह नुनन उचित होगा कि बीमाकता द्वारा निधारत तरीक से किसी वैत को नियक्त पॉलिसी द्रारा संरक्षित रशि को प्रप्त कर सके।
पर पालिसी द्वारा सरक्षित राशि को प्राप्त कर सके
एस किसी नामांकन को प्रभावी होने के लिए, आर वह पॉलिसी की शब्द योजना मे निगमित नहीं है, तो उसे बीमित करने के लिए सुचित पॉलिसी पर प्रांकन
तथा पॉलिसी से संबंधित रिॉईस में उसके द्वारा पंजीकरण के जरिए निगमित किया जाएगा, तथा ऐसे कोई नामांकन पॉलिसी के परिपक्व होने से पहले किसी
 दे किए या बदले जा सकते हैं लेकिन अगर इस प्रकार निरस्तीकरण या परिवतन
कलिए बीमाकता को लिखित में सरचना न दी गई हो तो बीमाकती पॉलिसी के अतंगत्रत उसके द्वरा वास्तविक बनाए गए पॉलिसी की शब्द योजना में उल्लिखित ता बीमाकरता के रिकॉईस में पंजीकृत नामांकित को किसी भुगातान के लिए दायी नहीं होगा
बीमाकर्ता द्वारा पॉलिसीधारक को नामांकन के पंजकृत कराए जाने या उसके निरस्तीकरण या बदले जाने के बारे में लिखित पावती देगा तथा विनियमों द्वारा निनिर्धारित ऐसे निरस्तीकरण या परिवतन को पंजीकृत करने के लिए शुल्क भी ले कता है
पद हो जाएगा: हो जाएगा:
जे जह है कि बीमाकता को पॉलिसी का अभ्यर्पण, जो कि अभ्यर्पण के समय पॉलिली
 उद नहीं होगा, लैकिन नामित के अधिकार केवल उस हद तक प्रभावित होंगे, जितना पॉलिसी में बीमाकत्ता का हित हो:
आगे शर्त यह है कि पॉलिसीधारक को अंतरिति या अभ्यार्पिती द्वारा अप्रिम रूप से दिए एए ऋण के प्रतिफल स्वरूप पॉलिसी का अंतरण या अभ्यर्यण, चाहे यह पूर्णत: हो या कक प्रभावित करोा, जो कि पॉंलिसी में अंतरिती या अभ्यापिती का हित होगा: शर्त यह भी है कि नमांकन जो कि अंतरण या अभ्यर्पण पर उसके परिणामस्वरूप अपने आप रद्य हुआ हो, वह नमांकन अभ्यर्पिती द्वारा पुनः अभ्यर्पण या अंतरती द्वारा ऋण के भुगानान पर सिवाय बीमाक्ता को पॉलिसी की जमानत पर, पुनः अंतरण से स्वत: पुन: प्रचालित हो जाएगा।
जहां पॉलिसी की भुगाना हेतु परिपक्वता उस व्यक्ति के जीवनकाल में होती है जिसके जीवन को बीमित किया गया है या अगर नामित व्यक्ति या एक से अधिक नामितों में से सभी पॉलिसी के भुगतान हेत परिप्व होने से पहले मर जाते हैं, वहां पॉलिसी के
अंतर्गत सरश्षित राशि का भगतान पॉलिसीधरक या उसके उत्राधिकरियों या कान्ती प्रतिनिधियों या उत्तराधिका र्रमाणपप्र के धारक को, जससी भी स्थिति हो, किया जाएगण।
जहां एक या अधिक नामित हों तथा एक या एक से अधिक नामित, उस व्यक्ति के जहीं एक या अधिक नामित हों तथा एक या एक से अधिक नामित, उस व्यक्ति के
जाद जीवित रहते हैं, जिसके जीवन को बीमित किया गया है, तो पालिसी द्वरा सुरक्षित की गई राशि का भुगतान ऐसे उत्तरजीवी या उत्तरजीवियों को किया जाएगा।
इस धारा के अन्य प्रवधानों के अधिन, जहां बीमा पॉलिसी के धारक ने अपने जीवन
पर अपने माता पिता या उपने जीवनसाथी या अपने बच्चों या अपने जीवन साथी और पर अपने माता/पिता या अपने जीवनसाथी या अपने बच्चों या अपने जीवन साथी और
बच्चों या उनमें से किसी को नामित किया हो, ऐसे नामित उप-धारा (6) के अंत्रत बीमाकता द्वारा देय राशि के लिए लाभाथी होंगे, जब तक कि यह साबित नहीं होता कि लिसी का धारक, पालिसी में उसके टाइटल की प्रकृति के अनुसार नामांकित को सा लाभार्थी टाइटिल प्रदान नहीं कर सकता है
3. उपरोक्त कहे गए के अधीन, जहां नामित या आर एक से अधिक नामित हों, जिन पर उप-धारा (7) लाग होती है, पॉलिसी द्वारा सुराक्षित राशि के भुगान से पहले,
किन उस व्यक्ति जिसके जीवन के बीमित किया गया है के बाद मर जाता है तो पैलिसी द्वारा सुरुक्षित राशि या मरनेवाले नामित या नामितों (जैसी भी स्थिति हो) के हिस्से का प्रतिनिधित्व करने वाली पॉलिसी द्वारा सुरक्षित राशि का भुगतान नामित या कीसी थी स्थिति हो, को किया जाएगा तथा वे ऐसीी राशि को पाने के लिए अधिक्तित ाभाथी होंगे।
उप-धारां (7) और (8) में कुष्ठ भी जीवन बीमा की किसी पॉलिसी की आमदनियों से किसी उधारदाता के अधिकार को नष या समाप्त नहीं करोग।
उप-धारआं (7) और (8) के प्रावधान बीम कानू (संशेधन) अध्यादेश 2015 के
सें होने के बाद भातान के लिए परिपप्व होने वाली जीवन बीमा की सभी पौलिसियों र लाूू होंग।
जहां पॉलिसीधारक की मृन्यु पॉलिसी के परिपक्व होने के बाद हुइ हो, लेकिन पॉंलिसी की आय और हितलाभ का भुतान उसे उसकी मृल्यु के कारण न हुए हों, तो उसके द्रा नामित उसकी 2. इस धारा के प्रावधान जावन बीमा की ऐसी किसी पोलिसी पर लागू नहीं होंगे, जिस कि गई हो
limited to the amount secured by partial assignment or transfer and such policyhholder shall not te entitited to touthther
residual amount payable under the same policy
Annexure - II
Nomination - As per section 39 of the Insurance Act, 1938, as
amended by Insurance Laws (Amendment) Act, 2015
The holder of a policy of life insurance on his own life may, when
effecting the policy or at any time before the policy matures for effecting t,
payment, nominate the person or persons to whom the mone secured by the policy shall be paid in the event of his death policy holder to appoint any person in the manner laid down by the insurere, to receive the monesy secured by molicy in the event of his
death during the minority of the nominee.
2. Any such nomination in order to be effectual shall, unless it
is incorporated in the text of the policy itself, be made by an endorsement on the policy communicated to the insurer and registered by him in the records relating to the policy and any such
nomination may at any time before the policy matures for payment be cancelled or changed by an endorsement or a turther endorsemen or a will, as the case may be, but unless notice in writing of any suc shall not be liable for any payment under the policy by him to a nominee mentioned in the text of the policy or registered in records of the insure!.
The insurer shall furnish to the policy holder a written acknowledgemen
of having registeres d nomination or a cancellation or change there and may charge such fee as may be specified by regulations to registering such cancellation or change.
A transfer or assignment of a policy made in accordance with section
38 shall automatically cancel a nomination: 38 shar automatically cancel a nomination
the insurer who bears the Provided that the assignment of a poicy to the insurerwno bears a loan granted by that insurer on the security of the policy within its not cancel a nomination, but shall affect the rights of the nominee only to the extent of the insurer's interest in the policy:
Provided further that the transfer or assignment of a policy, whether
wholly or in part, in consideration of a loan advanced by the transtere or assignee to the policyholder, shall not cancel the nomination bu shall aftect the tights of the nominee only to the extent of the intere. Providanseree or assignee, as the case may be, in the polioy cancelled consequent upon the transfer or assignment, the sam nomination shall stand automatically revived when the policy is eassigned by the transiteree security of policy to the insurer.
Where the policy matures for payment during the iniwe of person whose life is insured or where the nominee or, it there are
more nominees than one all the nominees die betor the palie more nominees than one, all the nominees die before the policy
matures for payment, the amount secured by the policy shall b payable to the policyholder or his heirs or legal representatives or the holder of a succession certificate, as the case may be
Where the nominee or if there are more nominees than one,
nominee or nominees survive the person whose life is insured the nominee or nominees survive the person whose life is insured, the
amount secured by the policy shall be payable to such survivor o
sunivors. sunvivors.
Subject to the other provisions of this section, where the holder of
a policy of insurance on his own life nominates his parents, or his spouse, or his children, or his spouse and children, or any of them the nominee or nominees shall be beneficially entitled to the amoun payable by the insurer to him or them under sub-section (6) unles
it is proved that the holder of the policy, having regard to the nature of his title to the policy, could not have conferred any such beneficial
tite on the nem
Subject as aforesaid, where the nominee, or if there are more
nominees than one, a nominee or nominees to (7) applies, die after the person whose life is insured but before the
amount secured by the epley is amount secured by the policy is paid, the amount secured by the
policy, or so much of the amount secured by the policy the share of the nominee or nominees so dying (as the case may be) shall be payable to the heirs or egal representatives of the nomine or nominees or the holder of a succession certificate, as the cas
rate to destroy impede the right of any creditor to be paid out of the proceeds of any policy of life insurance
0. The provisions of sub-sections $(7)$ and $(8)$ shall apply to all policies
life insurance maturing for payment atter the commencement of the life insurance maturing for payment after
Insurance Laws (Amendment) Act, 2015 .
Where a policyholder dies after the maturity of the policy but the
proceeds and benefit of his policy has not been made to hi because of his deatht in such a case his nominee shall be entitl the proceeds and benefit of his policy
2. The provisions of this section shall not apply to any policy of life
insurance to which section 6 of the Maried Women's Property Act 1874, applies or has at any tir the Maid.

## परिशिष्ट

गीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938 धारा 38 अनुसार

नमा पॉलिसी का अंतरण या अभ्यर्णण, पूर्णत: या अंशत: प्रतिफलसहित या इसके बिना, केवल पॉलिसी पर ही पृषंकन या अलग से इस्ट्टेंन्ट द्वारा किसी भी मामले अंतरणकता या अभ्यप्पणकता या उनके अधिक्त एजेन्ट द्वारा किया जा सकता , जिसे कम से कम एक साक्षी द्वरा सत्यापित किया जाना चाहिए, विशेष रूप अंतण या अम्यर्यण के तथ्य और कारण, अभ्यापिती के पूर्वृत्त और अम्यर्यण की शतों का उल्लेख करते हुए
बामाकता उप-धारा (1) के अतगगत किए गए किसी अंतरण या अभ्युण को स्वीकार कर सकता है या किसी पृष्षांकन को स्वीकार करने से मना कर सकता है, आर हीं है या पॉलिसीधरकक के हित में या जनहित में नहीं है या बीमा पॉल्तयी की ट्रेडिंग के प्रयोजन हेतु है
माकता, पृषंकन पर अमल करने से इन्कार करने से पहले अपनी अस्वीकृति के कारण को लिखित में दर्ज करगा तथा पॉलिसीधारक द्वारा एसे अंतरण या अभ्र्प्पण को सूचित करेग।
. Аमाधारक द्वारा ऐसे अंतरण या पृष्ठांकन पर अमल करने से इन्कार करने से प्रभावित ई व्यक्ति बीमाकर्ता से कारण सहित इन्कार की सूवना मिलने की तिथि से 30 नों के अंदर प्राधिकारी के पास अपना दावा रु
उप-धारा (2) के प्रवधानों के अधीन, अंतरण या अभु्यर्ण पूर्ण होगा तथा ऐसे
पषंकन या विधित सत्यापित इंस्टमेन्ट पर अमल प्रभावी होगा, सिवाय वहां जहां ंतरण या अभय्यापण बीमाकत्ता के पष में है बीमाकता के विरुद्ध प्रावी न होगा नथा यह अंतरिती या अभ्यर्पिती या उनके कानूनी प्रतिनिधि को ऐसी पॉलिसी के अतगगत राशि के लिए कानूनी दावा करने या उनके द्वारा धनराशि को सुराक्षित करने का अधिकार नहीं देता है। जब तक कि अंतरण या अभ्यपण का लिखित में नोटिस उक्त पृषांकन या इस्ट्मेन्ट की प्रति, जिस अंतरणकता तथा अंतरिती दोनों या उनके विधिवत अधिकृत एजन्ट्स द्वारा सत्य होने के लिए सत्यापित किया गया हो वशतं जहां बीमाकर्ता के भारत में एक या अधिक कारोबर के स्थान हो, वहां नीटस को
है।
जिस तिधि को उप-धारा (5) में संदर्भित नोटिस बीमाकत्ता को सुपूर्द किया जाता , उससे वह पॉलिसी में हित रखने वाले सभी व्यक्तियों के बीच अंतरण या भर्यर्पण के अंतर्गत सभी दववों के लिए प्राथमिकता को विनियमित करो, तथा हां अंतरण या अभ्यपण के एक से अधिक इंस्ट्टमेन्ट हों वहां ऐसे इंस्ट्येन्ट्रस के र्तर्ता दावों की प्राथमिकता उस क्रम संदर्भित नोटिस सुप्द्द किए गए हैं
अभ्यर्वितों के बीच भुगतान की प्राथमिकता के बारे में कोई विवाद उत्पन्न होने पर
उसे प्रधिकारी को संददरीत किया जाएगा।
उप-धारा (5) में संदर्भित नोटिस के प्राप्त होने पर, ऐसे अंतरण या अथ्यर्पण के तथा नोटिस देने वाले व्यक्ति द्रारा अनुरोध किए जाने पर, या आरर अंतरतीती या अभ्यर्षिती, विनियमों द्वारा निर्धारित की गई फीस के भुगातान पर, ऐसे नोटिस के प्राप्त होने की लिखित पावती देता है; और ऐसी किसी पावती को बीमाकर्ता के रुद्ध से 1 का है से से सीचत नाति विधितत प्राप्त हुआ है
अंतरण या अर्यर्पण के नियमों तथा शतों के अध्री, बीमाकरती द्वारा, उप-धारा
(5) में संदभ्भित नोटिस की प्रापि की तियि से पॉलियी के अंग्रात लाभ के
 तथा इक्विव्वियों के अधीन होगा, जिसका कि अंतरण या अभ्यर्णण की तिथि को अतरणकरा या अभ्यर्पणकता पात्र था तथा वह पॉलिसी के संबंध में कोई कारवाई कर सकता है, वह पॉलिसी के अंतर्तात ऋण प्रप्त कर सकता है या अंतरणकर्ता या उसे ऐसी कारावाई का एक पक्ष बना सकता है
स्पहीकरण - सिवायय इसके कि जहां उप-धारा (1) में संदर्भित पृष्ठांकन स्पष्ट रूप
 जाएगा तथा अभ्यर्पिती या अंतरिती को, जैसी भी स्थिति हो, क्रमशः पूर्ध अभ्यार्षिती या अंतरिती माना जाएगा
बीमा कानून (संशोधन) अध्यादेश 2015 के आरंभ होने से पहले किए गए किसी अभ्यर्यण या अंतरण से जीवन बीमा की पॉलिसी के किसी अभ्यिपिती या अंतरिती अधिकार व उपचार इस धरा के प्रावधानों द्वारा प्रभावित नहीं हों।
10. किसी कान्न के होने के बावजूद या ग्राहक की कानून के प्रतिकूल बाध्यता होने
पर, व्यक्ति के पक्ष में अभ्यपणण इस दशा में किया जा सकता है कि

अ. पॉलिसी के अंतर्गत धनराशि पॉलिसीधारक या नामित व्यक्ति या नाभित व्यक्तियों को उस दशा में देय हो सकती है आगर अभ्यर्पिती या अंतति स्यु क्या

जीवित रहता है, मान्य होगा: गथापि सशर्त अभ्यर्विती पॉलिसी को स्सेन्डर करने या पॉलिसी पर लोन लेने का पात्र नहीं होगा।

में, बीमाकता की दायिता अंशिक अभ्यर्णण या अंतरण द्वारा सुरक्षित की गई राशि

## Annexure I

Assignment - As per section 38 of the Insurance Act, 1938, as
amended by Insurance Laws (Amendment) Act, 2015
A transfer or assignment of a policy of insurance, wholly or in par whether with or without considieration, may be made only by a signed in either case by the transferor or by the assignor or his duly authorised agent and attested by at least one withess, specifically
setting forth the fact of transfer or assignment and the reasons thereof, the antecedents of the assignee and the terms on which the assignment is made.
2. An insurer may, accept the transfer or assignment, or decline to
act upon any endorsement made under sub-section(1), where act suon any endorsement made under sub-section(1), where hot bonatide or is not in the interest of the policy-holder or in public not bonatide of is not in the interest of the poicicy-holder or or
The insurer shall, before refusing to act upon the endorsement,
record in wititing the reasons for such refusal and communicate the record in writing the reasons for such refusal and communicate the
same to the policyholder not later than thirity days trom the date of the policyholder giving notice of such transfer or assignment.
Any person aggrieved by the decision of an insurer to decline to
act upon such transfer or assignment may within a period of thirty days trom the date of receipt of the communication from the thinsure

Subject to the provisions in sub-section (2), the transfer assignment shall be complete and effectual upon the execution a transter or assignment is in favour of the insurer shall not be weperativ as against an insurer, and shall not confer upon the transferee or assignee, or his legal representative, any right to sue tor the amoun of the transter or assignment and either the said endorsement instrument itself or a copy thereof certified to be correct by both
transferor and transteree or their duly authorised agents have been transteror and transteree
delivered to the insurer:
Provided that where the insurer maintains one or more places business in India, such notice sha
where the policy is being seviced.
Th to the insurer shall requlate the priority of all claims under a transter or assignment as between persons interested in the policy; and where there is more than one instrument of transfer or assignme by the order in which the notices referred to in sub-section (5) are delivered
Provided that if any dispute as to priority of payment arises as
between assignees, the dispute shall be referred to the Authority. Upon the receipt of the notice referred to in sub-section (5), the with the date thereof and the name of the transferee or the assignee and shall, on the request of the person by whom the notice was give or of
be specified by the regulations, grant a witten acknowledgement the receipt of such notice; and any such acknowledgement shall be conclusive evidence against the insurer that he has duly received the noice to which such acknowedgment relates
8. Subject to the terms and conditions of the transfer or assignment, the
insurer shall, from the date of the receipt of the notice referred to sub-section (5), recognize the transferee or assignee named in the notice as the absolute transferee or assignee or entitled to bene
under the policy, and such person shall be subiect to all liabilities and equities to which the transferor or assignor was subject at the dat of the transfer or assignment and may institute any proceedings
relation to the policy, obtain a loan under the policy or surrencer the policy without obtaining the consent of the transferor or assignor or h proceeding
Explanation - Except where the endorsement referred to in sub-
section (1) expressly indicates that the assignment or transfer is conditional in terms of subsection (10) hereunder, every assignme or transfer shall be deemed to be an absolute assignment or transfe and the assignee or transferee, as the case may be, shall be deemed
to be the absolute assignee or transferee respectively
to be the absolute assignee or rransferee respectively
Any rights and remedies of an assignee or transferee of a policy
life insurance under an assignment or transter effected prior to the commencement of the Insurancee Laws (Amendment) Act, 2015 sha Not be affected
0. Notvithstanding any law or custom having the force of law to the
contrary, an assignment in favour of a person made upon the
condition that-
a. The proceeds under the policy shall become payable to the
policyholder or the nominee or nominees in the event of either the policyholder or the nominee or nominees in the event of either
assignee or transferee predeceasing the insured; or The insured surviving the term of the policy, shall be valid. Provided that a conditional assignee shall not be entitled to obtain
a loan on the policy or surrender a policy. In the case of the partial assignment or transfer of a policy of

## भाग - द. सेवा प्रदान करने के पहल से संबिधित शतें

उम्र का प्रमाण: प्रस्ताव प्रप्ता में घोषित की गई इीीित व्यक्ति की उम पर प्रीमियम
की गणना हो जाने के पश्चात यदि उस्र उस उम्न से अधिक पायी जाती है तो बिना किसी पूर्वाप्रह बीमा अधिनियम 1938 के अंतर्गत उपलब्ध अधिकारों और उपचारों सहित निगम के अन्य अधिकरों और उपचारों को क्ष्रति पहुंचाए बिना, ऐसे मामले में
पीमियम समय सही उम के आधार पर मूल बीमारा़ि और रइडससे बीमाराशि, अार लिया गया हो तो, के लिए निकाली गई दर से दे होगा और बीमित व्यक्ति/प्रस्तावक निगम को पॉलिली आरंभ होने से लेकर ऐसे भुगानान की तिथि तक मूल प्रीमियम और सही उम्र के लिए प्रीमियम के बीच अंतर की संचित राशि और उस पर उसी अवधि के लिए निगम द्वारा उस समय प्रचलित निधारत दर पर ब्याज सहित भुगतान करााए
नथापि, प्राद्ना है कि यदि बीमित व्यक्ति प्रस्तावक इसमें उल्लिखित प्रमियम की दर से भुगतान करता रहे और उपयुव्त संचित खण राशि का भुगातान न करे तो पॉलिली
प्रारभ होने की तिथि से पॉलिसी के दावा बनने की तिथि तक सही उम्र के प्रीमियम प्रारभ होने की तिथि से पॉलिसी के दावा बनने की तिथि तक सही उस्र के प्रीिमिय और मूल प्रीमियम के बीच अंतर की संचित राशि और ऐसे अंतर की प्रत्येक किस्त
पर दर्वे के समय प्रचलित दर से ब्याज के साथ द्य होगी। उसे पॉलिसी पर बीमित व्यक्ति/प्रस्तावक द्वारा देय कण माना जाएगा तथा पॉलिसी के अंत्रत्त दावा होने पर ॉौलिसी धनराशि से काट लिया जाएगा
यह भी प्रावान है कि यदि प्पवेश के समय बीमित व्यक्ति की सही उम ऐसी हो क्योग बना दे तो उसको बीमा के आरंभ में प्रवतित सणा के अन्माए निण द्वार द्याग्य बना दे तो उसका बीमा के आरभ मे प्रचलित प्रथा के अनुसार निगम द्वारा
दान किए जाने वाले बीमा वर्ग अथवा शतों में परिवतित कर दिया जाएगा, जो के पॉलिसीधीरक की सहमति के अधीन होगी, अन्यया पॉलिसी को रद कर दिया जाएगा।

## 2. जब्ती तथा गैर जब्ती संबधी कान

आगर 3 वर्षों से कम प्रीमियम अदा किये गये हों और उस के बाद के प्रीियममों का भुगतान न किया गया हो तो पहले अद्त्त प्रीमियम की तिथी से रियायती अवधि की दय नहीं होगा अस अदा किए गए पर्तीमियम भी भी नहीं लौटाए जाएगें।
ii) कुछ अन्य घटनाओं में जबी: यहाँ नहहित या पुष्ठंकित किसी परिस्थिति के तथा संबंधित काजजातों में कोई असत्य या गलत कथन पाये जाने पर या किसी नहत्वप्यण जानकारी के नहीं बताये जाने की स्थिति में एवं प्रत्येक एसी स्थिति में भी दावे समय-स्समय पर संथेधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 के

## सभी दावे समय-समय पर्या मावधनों के अधीन होंगे।

गैर जब्ती संबंधी कानूनः
लेकिन आरा, कम से कम पूरे तीन सालों के प्रीमियमों का भुगतान करने के बाद,
आगले प्रीमियमों का भुगतान नहहं किया जाता है, तो यह पूरी तरह से अमान्य नहीं बल्कि चुक्ता पॉलियी का रुप ले लेगी है।
कता पॉलिसी के अंत्गत् "मृत्य पर बीमा रीजि" को एक ऐसी रशि के रुप में घटा द्रा जाएगा, जिसे "मृत्यु पर चुक्ता बीमाना राशि" कहा जाएगा तथा यह [(अदा किए एक कुल प्रीमियम/प्रीमियम भुगतान अवधि के दौरान देय प्रीमीयमों की कुल संख्या)
$x$ मुख्य पर बीमा राशे के समान होगी। मृत्यु पर बीमा राशि] के समान होगी

 मियम भीगातान अवाधि के
आगर पॉलिसी चुकता पॉलिसी के रुप में जारी रहती है तो भविष्य के लाभो में
भागीदरी की पाँ्र नहीं होगी। हालांक आर कोई निहित सरल प्रत्यावती बोनस हो, भागीदारी की पात्र नही होगी। हालाका आर का
तो वे घटी हुई चुकाता पोलिसी से जुड़े रहों।
उपरोक्त उल्ल्खेख किए गए के बावज़द, आरा इस पॉलिसी के अंतग्रात कम से कम प्रे 3 वषों के प्रीमयमों का भुगतान किया गया हो, और उसके बाद के प्रीमियम का भुगतान किया गया हो, तो पहल भुगतान न किए एग प्रीमियम की देय तिथि से छ: महीने के अंदर बीिित व्यक्ति की मुत्य होने पर "मुल्य पर देय बीमा राशी" का भुगतान,
निहित सरल प्रत्यावती बोनसों, तथा अंतिम अतीरित्त बोनसों अार कोई हो, के साथ (अ) मूल पॉलिसी हेतु मृन्यु की तिथि तक अदा न किए गए प्रीमियमों और उन पर वाल पर हो तथा (ब) आगली पॉलिसी वर्षांठ से पहल देय होने वाला मूल पॉलिसी के लिए
अदा न किए गए प्रिमिय को घटाकर किया जाएगा। उपरोक्त उत्लेख किए गए के बावजुद, अरा इस पॉलिसी के अंत्गत कम से कम पूे 5
वषों के प्रीमियमें का भुगान किया गया हो, और उसके बाद के प्रीयेयम का भागतान वर्षों के प्रीमियमों का भुगतान किया गया हो, और उसके बाद के प्रीमियम का भुगतान
न किया गया हो, तो पहले भुगान न किए गए प्रीमियम की देय तिथि से 12 महने के अंदर बीमित व्यक्ति की मूल्य होने पर "मुल्य पर देय बीमा राशे" का भुगतान,
निहित सरल प्रत्यावती बोनसों, तथा अंतिम अतिरित्त बोनसों अरा कोई हों के साथ (अ) मूल पॉलिसी हेतु मूल्य की तिथि तक अदा न किए गए प्रीयियमों और उन पर
लगन वाला ब्याज, उन्ही शतों पर जो कि इसी अवधि के लिए पॉलिसी के पनच्चालन पर हो तथा (ब) आलीी पॉलिसी वर्षांठ से पहले देय होने वाला मूल पॉलिसी के लिए पर हो तथा (ब) आपली पॉलिसी वकांठ से पहल देय
अदा न किए गए प्रीमियम को घटाकर किया जाएगा।
ये प्रावथान कैकल्यिक राइए पर लागू नहीं होते है क्योंकि वे कोई चुकता मूल्य
प्रात्त नहीं करे है और पोलिसी के कालातीत अवस्था में होने पर राइएर हितलाभ
समाप्त हो जातें।
कालातीत पॉलिसियों का पुर्चलन: आरा रियायती दिनों के अंदर प्रीमियम का भुगतान
न करने के कारण पॉलिसी कालातीत हो गयी हो, तो इसे अदा न किए गए पहले न करने के कारण पॉलिसी कालातीत हो गयी हो, तो इसे अदा न किए गए पहले
प्रीमियम की तिथि से लगातार 2 वष्षों की अवधि के अंदर, मगर बीमित व्यक्ति के जीवनकाल के दौरान फिर से बहाल किया जा सकता है। जो कि निगम को सममित व्यक्ति और/या प्रस्तावक (अार प्रीमियम माफ़ हितलाभ राइडर चुना हो)
संतोष्पद, निर्तर बीमा यो्यता का प्रमाण प्रस्तुत करने तथा तथा समय-समय
 की सभी बकाया राशियों का भुगतान करने पर बहाल होगी। लेकिन निगम के पास स्थगीत पॉलिसी को फिर से बहाल करने को मूल शतों पर स्वीकार करने, संशोधित
शतों के साथ स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार सुक्षेत है। स्थीतित पॉलिसी की बहाली तभी प्रभावी होगी जब निगम द्वारा उसे अनुमीदित किया जाएगा तथा/बीमित व्यक्ति को विशिष्ट रूप से सूचित कर दिया जाएगा।
higher than such age, without prejudice to the Corporation's other
rights and remedies, including those under the Insurance Act, 1938 the premiums shall be payable in such case at the rate calculated on
the Basic Sum Assured and Rider(s) Sum Assured if opted tor the correct age at entry, and the accumulated difference between the premiums oro the correct age and the oorinial premiums, from the
commencement of the Policy unto the date of such aymen be paid to the Corporation with interest at such sate as as fixed by the
Corporation from time to time However in case the Lif Assured Corroration from time to time. However, in case the Life Assure Proposer continues to pay the premiuns at the rates shown herein
and also does not pay the above mentioned accumulatec debt, th accumulated difiference etween the premiums for the correct age
and the original lomemiums from the commencement of this Policy up to the date on which the Policy becomes a claim, with interes on each instamment of such difference at such rate as may be fixed
by the Corporation from time to time, shall accrue and be treated a debt due by the Life Assured / Proposer against the said Polic and shall be deducled tro becoming a claim.
Provided furher that if the Life Ansured's correct age at entry is suc
as would have made him/her uninsurable under the class or terms shall stand altered to such Pala Schedsuree as are ter be the Corporation according to the pracitce in force at the commenceme of this policy subbect ot the consent of the Policyholder, otherwise the
policy will be cancelled

Forfeifiture Requlations:
. If less than three years' premiums have been paid and any
subsequent premium be not duly paid, all the benefits shal cease atter the expiry of grace period trom the date of first unpaid premium and nothing shall be payable, and the Premiums paid
Forfeiture in Certain Other Events: In case any condition herein contained or endorsed hereon be contravened or in case it is found
that any untrue or incorrect statement is contained in the proposal hat any untrue or incorrect statementis contianed in the rioposas any material informat, decion is withon and connected then and in every such cas is oolicy shall be subiect to the provisions of Section 45 of the Insurance Act, 1938, as anended from time to time.

If, after atleast three full years subsequent premiums be not d duly paidid, this
wholly void, but shall subsist as a paid-up policy.
The Sum Assured on Death under a paid-up policy shall be reduce equal to Isum Assured on ${ }^{\text {and }}$ * (Ner ofsured' and shall b equal to So Sum Assured on Death * (Number of premiums paid/ Totat The Sum Assured on Maturity under a paid-up policy shall be
reduced to such a sum called 'Maturity Paid-up Sum Assured' and shall be equal to ISum Assured on Maturity * Number of premiums paid/ To
Term).
If a policy continues as a paid up policy the same shall not be If a policy continues as a paid up policy the same shall not be
entitted to particioate in ituture profits. However, the vested simple
reversionary bonuses, if any, shall remain attiached to the eeduced reversionary bon
paid up policy.
Notwithstanding what is stated above, if atleast 3 full years' premium be not duly paid in respect of this policy, and any subent of the deantht of pemin
six Life Assured withi
six months on Death" along with Additional Bonuses, if any, will be paid atter deduction of (a) the premium (s) for the base policy unpaid with interest thereon upto
the date of death, on the same terms as for evevival of the Polic
during such period and during such period and (b) the balance premium(s) for the base
policy
alaling due from the date of death and before the next polic
Notwithstanding what is stated above, it at least 5 full year premiums have been paid tin respeci, of this policy, and a a the
subsequent premium be not duly paid, in the event of death of the Lifseessured within 12 months trom the, first unpeaid premium, "Su Assured on Death" along with vested Simple Reversionary Bonuses
and Final Addititional Bonus, it any, will be paid atter deduction (a) the premium(s) for the base eolicy unnaid with interest thereo
upto the date of death, on the same terms a s for revival of the Policy during such period and (b) the balance premium(s) for the base
policy falling due from the date of death and before the next policy These provisions do not apply to optional Rider(s) as they do no
accuurie any
paid up value and the rider benefitic ceases to apply, policy is in lapsed condition
Revival of lapsed Policies: If the Policy has lapsed due to non
payment of due premium within the days of grace, it may be revived during the life time of the Life Assured, but within a perio of 2 consecutive years from the date of the first unpaid premium
on submission of proot of continued insurability to the satisfactio of the Corporation and the payment of all the arrears of premiu oogether with interest (compounding hall-yearly) at such rate as
fixed by the Corporation from time to time. The Corporation however
reserves the right to acceept at original terms, acceet with modifie reserves the right to accept at original terms, accept with modified
terms or decline the revival of a aliscontinued policy. The revival of the discontinued policy shall take effect only atter the same is approved
by the Corporation and is specifically communicated to the Life
Assured

ाइडर को पुनः प्रचालित करने, आर चुना गया हो, पर तभी विचार किया जाएगा
अार मूल पूलिसी को भी पुन: प्रचालित किया जाता है, सिफ़़ उसे नहीं।
 भुतातान करसे की बापे
किया जा सकता है।
 कारण घटायी गई किसी अतिरक्ति राशि तथा राइडर (राइडर्स) के लिए प्रीमियम,
आगर चुना गया ही, के साथ कुल अदा किए गए प्रीमियम पर लाग गारंटीड अ२्येपण

 पौलिसी का
सके अलावा, निहित सरल प्रत्यावर्ती बोन्रों, आगर कोई हो के सरेन्नर मूल्य
ना भी भुतान किया जाएगा, जो कि निहित बबोनस और निहित बबनरों पर लगाए
都 तथापि, इस पॉलिसी के अंत्गतत विशषष सरेन्डर मूल्य का भुगान किया जाएया, आरा
वह पॉलिसीधारक के लिए अधिक अनुकूल है। स्पेशल अभ्येण पूल्य परिप्वत्वा चुकता बीमा राशि (भाग द की शतन 2 में परिभाषित अनुसार) तथा निहित सरल ठोगा। इस पॉलिसी परा पफल का ये स्पेशल अअभ्यपपणण मूल्य घटक सं गुणनफल मूल्य - से समय-समय पर बदल सकत हैं।

पॉलिसी ऋण: आयर कम से कम परे तीन वषों के प्रीमियमों का भुगतान किया था हो तो इस पॉलिसी की निम्नलिखत शतों तथा पॉलिसी के अभ्यर्यण मूल्य के अततता की राशि के लिए तथा निगम द्वारा समय-समय पर
नियमों तथा शतां के अंत्गत लोन प्राप्त किया जा सकता है

पॉलिसी प्रातः अभ्यर्वित होगी तथा कण और उस पर ब्याज की अदायती
के लिए उसे जमानत के रूप में निगम के द्वारा धारित रखा जाएगा।
निगम को ब्याज का भुगतान, इस पॉलिसी के अंतर्तात कण लेते समय निगम द्वारा
विनिधारि दर से छमहती चक्रवद्दि दर से किया जाएगा। ब्याज की पहली किस्त का भुतानान आगली पोलिसी वष्षांठ पर पर का अगली पॉलिसी वर्षणांठ से छः महहने था, किया जाएपारा, और अी उसके बाद हुर्त छाद महोने जर पर किया जाएपाँ। ब्याज कम में कम छ: महीनों के लिए लिया जाएगा।
ऐसी पॉलिसियों के मामले में जो कि प्रभावी न हों जैसे कि चुकता पॉलिसियां, ऊुपर उल्लेख किए गए अनुसार देय तिथि को ऋण पर ब्याज के भिगतान
पं चृक के कारण, निगम 30 दिनों की नोटिस अवधि की समाप्ति के बाद में चूक के कारण, निगम 30 दिनो की नोटिस अवधि की समापि के बाद
किसी भी समय, रसी चक क्ने वाली पौलिसियों को समय पूव समाप्त करने
के के लिए अधिक्तित है। एसी पॉंलिसियों को समय पूर्व समाप्त किए जाने पर
पूव-समाप्ति की तिथि पर वे अभ्येण मूल्य के भुगान की पात्र होंी़, जिसे बकाया ॠण तथा उस पर जमा ब्याज को काटकर अदा कर दिया जाएगा।

आर पॉलिसी परिप्व होती है या पॉलॉसी को अभ्यर्पण किया जाता है या मृत्य के कारण दावा किया जाता है तो निगम द्वारा पॉलिसी की धनराशि से
बाकाये कण या उसके किसी अंश को सभी देय ब्याजों के साथ काट लिया
जाएा। भाग - य

## लागू नहीं

भाग - ₹: अन्य नियम व शते
फ्री लूक पीरियड: फ्री ल्लिक पीरियड के दौरान, आरा पॉलिलीधारक पॉलिसी के
नियम तथा शतों से संतुष्ट नहीं है तो वह अपनी आपत्तियों के कारण का उल्लेख
 करत हुए पालिसी को लॉटा सकता है। इसके प्राप्त होने पर निगम पॉलिसी को रद
कर देगा तथा सरंब्षेत जोखिम अवधि के लिए आनुपातिक जोखिम प्रीमियम (मूल पॉलिसी और राइडर, आर चुना गया हो, के लिए) स्वास्थ्य जौंच शुलुक्क व स्टृप्य चूयूटी हुे शुल्क को काटकर, जमा किए गए प्रीमियम को लौटा दोगा
अ) रमानदेशनः इस पॉलिली के अंतर्गत समय-सम पर यथा संश्रोधित बीमा
अधिनियम, 1938 की धिरा 38 के तहत समादेशन की अनमति है। धारा 38 के मौजदा' प्रवधान इस पॉलिसी दस्तावेज के परिशेष्ट- 1 में दृए गए हैं। समानदेश्न का नोटिस निगम कै इस कार्यालय में पंजीकरण के लिए दिया जाना चाहिए, जहां लिसी को सेवाएं प्रदान की जाती
ब) नामांकन: समय-समय पर यथासंशोधित बीमा अधिन्येम 1938 की धारा के
अंतगत जीवन बीमा की पॉलिसी के धारक द्वारा नामांकन अपषेक्षित है। धारा 39 के

 में निगम उसकी वैधतत या काननी़ी प्रभाव के
करता है या कोई राय नही व्यक्त करता हैं।

## आत्महल्या: या पॉलिसी अधै मानी जाएयी।

 है तो निगम द्वारा इस पॉलिसी के अंतर्गत किसी दावे पर विचरार नहीं किया जाएगा, केवल अदा किए गए प्रीमियम्स के $80 \%$ को, किन्हीं अतिरिक्त राशियों
जिन्हें बीमलेख़न निvयों के कारण पॉलिसी के अंतगत हिया गया हो तथा जिन्हें बीमालेखन निर्णयों के कारण पॉलिली के अंत्गात लिया गया हो, तथा
रम एथयोर्स राइडर से भिन्न किसी राइडर के प्रीियम को छोड़कर, अगर टम एश्थारन्स राइडर से भिन्न किसा राइडर क प्रीमियम का छोड़कर,
कोई हो, का भुगतान किया जाएगा। बशते पोलिसी चोलू अवस्था में हो।
 अदा किए गए प्रीमियम्स के $80 \%$ को किसी अतिरिक्त राशियों, जिसे बीमालेखन


Revival of Rider(s), if opted for, will only be considered along with the
revival of the base policy and not in isolation Surrender: The policy can be surrendered at any time during the
policy term provided premiums have been paid for atleast three consecutive years.
The Guaranteed Surrender Value shall be equal to the total premiums paid excluding any extra amount if charged under the policy due
to underwiting decisions and premium tor rider (s), if opted to to underenriting decisions and premiums for rider(s), if opted for
multiplied by the Guaranteed Surrender Value factor applicable to total premiums paid. These Guaranteed Surrender Value factors expressed as perce the policy is surrendered and are contained in
policy year in which the Annexure - IV of this Policy Document
In addition, the surrender value of vested simple reversionany
bonuses, if any, shall also be payable, which is equal to vested bonuses multiplied by the Surrender Value factor applicable vested bonuses. hese suriender value factors will depend on the
policy term and the policy year in which policy is surrendered and are policy term and the policy year in which poicy is sut.
contained in Annexure - - Oof this Policy Document.
However, under this policy, Special Surrender Value will be payable, will be the Special Surrender Value factor multipied by the sum Maturity Paid--up Sum Assured (as defined in Condition 2 of Part D and vested Simple Reversionary Bonuses. The Special Surrend
Value factors applicable to this policy may change trom time to time with prior approval of IRDAI.
No surrender value will be available on Rider(s), if any
Policy Loan: Loan can be availed under this policy provided atleast
three full years' terms and conditions, within the surrender ralue of the policy for
such amounts and on such further terms and conditions as the such amounts and on such further
Corporation may fix from time to time:

1. The Policy shall be assigned absolutely to and held by the
Corporation as security for the repayment of Loan and of the . Interest on Loan shall be paid on compounding hall-yearly basis at the time of taking loan under thin solicy. The first onymentan o
interest is to be made on the next policy anniversary or on the date six months before the next Policy anniversary whicheve and every half year thereatter. Interest is charged tor a minimum and every har yeart
period of six months
In case of policies which are not inforce i.e. Paid-up policies, in
the event of default in payment of loan interest on the due date as herein mentioned above, the Corroration would be entitled to atter expiry of notice period of 30 days. Such policies when being foreclosed shall be entited to payment of surrender value as on accrued interest. However, in case of inforce policies (where al the due premiums stand paia) and fully paid-up poicicies( wheie foreclosure action shall not be applicable
2. In case the policy shall mature or is surrendered or become
a claim by death, the Corporation shall become entitled to a claim by death, the Corporation shall become entitled to to
deduct the amount of the Loan or any portion thereof which is deduct the amount of the Loan or any portion thereof which
outstanding, together with all interest from the policy moneys.

## PART E

## PART - F: OTHER TERMS AND CONDITIONS

Free look period: During the Free Look period, if the Policyholder is not satisfied with the Terms or Conditions of the policy, helshe may
return the policy to the Corporation stating the reason of biections. On receipt of the same the Corroration shall cancel the poliey On receipt of the same the Corporation shal cancel the poiticy
and return the amount of peremiun deposited atter deducting the
proportionate risk premium for Base Policy and riders, if opted for) proportionate risk premium (for Base Policy and riders, if opted foi
for the period on cover and charges for medical examination, specia for the perioc on cover and cha
reports, if any and stamp duty.
2. a) Assignments: Assignment is allowed under this plan as pe
Section 38 of the insurance Act, 1938 as amended from time to time The current provisions of Section 38 are contained in Annexure-l o this Policy Document. The notice of assignment should be submitted
for registration to the office of the Corporation, where the policy
b) Nominaions. Nomination by the holder of a policy of assuranded from time to time. The current provisions Act, 193 39 are contained in Annexure-ll of this Policy Document. The notice of nomination or change of nomination should be submitted fo
registration to the office of the Corporation, where the policy senviced. In registering nomination the Corporation does not acce, any responsibility or express ay
effect.
Suicide: This policy shall be vo
. Suicide: This policy shall be void
any time within 12 montht strom the date of commencement and
risk, the Corporation will not entertain any claim under this policy except for $80 \%$ of the premiums paid excluding any extra amout if charged under the policy due to underviting decisions and
rider premiums other than term assurance rider, if any, provide the policy is inforc
If the Life Assured (whether sane or insane) commits suicicic
within 12 months trom date of revival, an amount which is high within 12 monthst rrom dateo or revival, an amount which is higher
of $80 \%$ of the premiums paid till the date of death excluding extra

के अंतर्गात किसी अन्य दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। यह धारा लागू नहीं
होगी आर पॉलिसी चुक्ता मूल्य प्राप्त किए बिना कालातीत हो गयी हो तो ऐसी होगी आयर पॉलिसी चुकता मूल्य प्राप्त किए बित
पॉलिसियों के अंतगतत कुछ भी देय नहीं होगा।
कर: ऐसी इंश्यारन्स प्लान्स पर यदि काई वैानिक कर भारत सरकार या किसी अन्य भारत की संवैधानिक संस्था द्वारा कर लगगया जाता है तो वह समय-समय पर लागू कर संबंधी कानूतो और कर की दर के अनुसार होगा
 राशि ली गई हो तो वह भी शामिल है, पर देय सेवाकर मौज़ा दरों से लिया कए गए कर की रशि को प्वारन दे अंत्रात देय हितायें की गणना हें शमिल किए गए कर की राशि
नहीं किया जाएगा।
दावे के लिए सामान्य अपेक्षाएं: बीमित व्यक्ति/प्रस्तावक की मूल्य होने पर दावदार
द्वरा दवा प्रस्तुत करते समय देय समान्य दस्तवेकों में निगम द्वारा विनिधारित
 मुल्यु कान क्रमाण, लिए दूव्यु सेा पूर्व किकित्सा उस उचारा, स्कूल/कालेंज/नियोक्ता का प्रमाण
 पोलिसी के अंतता उम्र्वीक्कत नही वी
पॉलिसी के परिप्ववता दावे में परिणत होने या विदमानता हिललाभ दावे की स्थिति प्त करने या पॉलिसी के सेर्न्डर किए जाने की स्थिति में, बीमित जीवन को
स्चारजे फॉर्म के साथ मूल पॉलिसी दस्तावे, दावे की राशि के सीधि बैंक खाते जमा होने के लिए दाववदार की ओर से सनईएफटी आदेशा, उम्र का प्राणण, अगर प्रते स्वीकृत नहीं किया गया हो, प्रस्तुत करना होगा
पॉलिसी के अंतर्गत दुर्द्रनात्मक अशक्तता/मूप्यु का दावा उत्पन्न होने पर निम्नलिखित
सूची में से लाग विवरणिया मंगवयी जा सकती है, ताकि सुनिश्चित हो सके कि हृत्यु किन परिस्थितियों में हुई
प्राथमिक (एफआईआर) की प्रमाणित प्रतिलि
पुलिस छानबीन (जांच) रिपोट की प्रमाणित प्रतिलिपि

> 3) पंचनामा की प्रतिलिपि

मुत्य के संभावित कारण की जानकारी के लिए पोस्ट मॉर्म की Rिपर्ट. आगर
पुस्ट मॉट्टम में बिसरा को सुरक्षित किया गया है तो उसकी सामी़्रों की जानकारी के लिए केमिकल एनलाइजर रिपोर्टें अर्थात क्या बीमित व्यक्ति ने शराब, इस्रस, मादक द्रव्यों या जहर का सेवन किया था।
) अखबार की कटिंग, जिसमें दुर्दना का उल्लेख किया गया हो।
6) अर मूल्य का कारण वाहन दुर्झटना हो तो ड्रइविंग लाइसेंस की प्रतिलियि, आर बीमित व्यक्ति वाहन चला रहा हो

8) जहां दुर्घटना की रिपोर्ट पुलिस में नहीं की गई हो, जैसे कि कुते या सांप
के काटने से मृत्यु, तो वेकल्पिक प्रमाण दिया जाना चाहिए जैसे कि चश्मददाद . पूछताछ रिपों,
सकती है।
9) अस्पताल में इलाज की रिकांड
. वैधानिक परिवर्वन: इस पॉलिसी के अंत्गात प्रीमियम व देय हिताभ तथा नियम
तथा शतं संबंधित विधानों और विनियमों में परिवरन के विषयाधीन होंगे। लाभों का उदाहरण: आपके अनुनूल हितलाभ का उदाहरण इस पोंलिसी दस्तावेज
के साथ संलन है।
गाग - लः सांविधिक प्रावधान
बीमा अधिनियम 1938 की धारा 4
पय-समय पर यशासंशीधित बीमा अधिनियम 1938 की धरा 45 का प्रावधान मैजदा वधान परिश्षा-III में संलन्न है
हहकों की शिकायतों के समाधन के लिए निग्म के शाखा/पंडल/क्षेत्रीय/केन्द्रीय कार्यालय में शिकायत समाधान अधिकारी हैं। ग्रहकों की शिकायत का शी़्र समाधान करने के लिए निगम अपने कस्टमर पोर्टल (वेबसाइड) http://mmu. licindia. in के जारए ग्राहक शुभिन्तक
 पनी किसी समम्या के समाधा के fिप्त आईडी co crmarv@licindia.com
 कक्ष हो सम्प्रक कर सकता है ।

टोल फ़ी नंबर $155265 / 18004254732$ (अर्थात आईआरडी़आई शिकायत
कॉल सेन्टर) पर कॉल करे भेजे complin
ऑनलाइन शिकायत http://muw.igms.irda.gov.in पर दर्ज करे
 बशीराखाए, हैदराबाद - 500029 , अंध्र प्रदेश
दावेदार मृत्य के दावे को अस्व्वकृत करए जाने के निण्य से असंतुष्ट हों वे अपने मामले
जो दावेदार मूल्य के दाव को अस्वीक्त किए जाने के निर्णय से असंतुष्ट हों के अपने मामले
को समीक्षा के लिए क्षेत्रोय करालय द्वारा विवाद समाधन समिति या केन्द्रीय कर्यालय दावा विवाद समाधान समिति के पास भेज सकते हैं। प्रत्येक दवा विवाद समाधान समिति में उच्च न्यायालय/ जिला न्यायालय के एक सेवानिवृत्त जज सस्य के रूप में हैं शिकायतों
से संबधित दावों के समाधान के लिए दववदाद भारत सरकार द्रार नियक्त बींम लोक्याल से सीबधत दावों के समाधान के लिए दावदार भारत सरकार द्वारा नियुक्त बमामा लोक्पाल प्रदान करने के लिए है।
amount if charged under the policy due to underwiting decisions and rider premiums other than term assurance rider, if any or entertain any other claim under this policy. This clause shall not entertain any oner claim under tis policy. Tiss clause shall nol
be applicable for a poliay lapsed without acquiring gaid up value
and hence nothing shall be payable under such policies. Tax: Statutory Taxes, if any, imposed on such insurance plans by the
Government of India or any other constitutional tax Authority of Indi shall be as per the Tax laws and the rate of tax as applicable from
time to time e to time.
The amount of Service Tax payable as per the prevailing rates shall be
payable by the policyholder on premiums (for base policy \& rider(s)
 underwriting decisions, which shall be collected separately over an
above in addition to the premiums payable by the policyholder. Th amount of tax paid shall not be considered for the calculation of any
anefits payable under the lan le under the plan
Normal requirements for a claim: The normal documents which the
claimant shall submit whil lodging the claim in case of death of the
Life Assured shall be clim tors os Life Assured shall be claim forms, as prescribed by the Corporation claimant for direct credit of the claim amount to the bank accou school collegel employer's certificate whichever is apolicable to the satisfaction of the Corporation II the age is not admitited under the
policy, the proof of age of the Life assured shall also be submitted. Where the policy results into a matuity claino Where the poicicy results into a maturity claim or results into a aunvival shall submit the discharge form along with
document, NEFT mandate from the elaimant for direct crealit of the claim amount to the
not admitted earier.
Where policy results into a accidental disability/death claim the Where policy results into a accidental disability/death claim the
appoicabe statements from the following ist may be called to
ascertain circumstances under which death / disability took place:-

1) A certified copy of first information report (FIR)
2) A certitied copy of police inquest repor
3) Post mortem report to

Post mottem report to know the probable cause of death. It report to know the contentsti.e. whenener chemical analyzee
consumed liquor, drugs, tarcotics or hoison.
5) News paper cuttings where accident is reported
6) If death is due to vehicle accident, then copy of driving licence, if 7) Sub-divisional magistrate final IVerdict about death- this will give
8) When accident is not reported to police authorities, like death due to dog or snake bite, then alternate proofs such as stateme
of eye witress, aftidavit of gramsevak or oovt. officials, our own
and of eye withess, aftididavit of gramsesak or govt. officials, our own
enaurir report, attending physician or hospital reports may be
sufficient. sufticient.
9) Hospital tro

Legislative Changes: The Terms and Conditions including the
premiums and benefits payable under this policy are subject to
variaion in accordance with the revant premiums and beneitis payabe under this policy are subject to
variation in accordance with the relevant Legisistion \& Regulations. 7. Benefit lllustration: Your customized Benefit lllustration is enclosed
to this document.

## PART - G: STATUTORY PROVISIONS

The provisions of the sections 45 of the Insurance Act, 1938 shall be
applicable as amended from time to time. The current provisions are applicable as amended from time to time. The

The Corporation has Grievance Rearessal Officers at Branch/ Divisiona quick redressal of customer grievances the Corporation has introduce Customer stiendly Integrated Complaint Management System throug
our Customer Portal (website) which is httpo /mmw licind our Customer Portal (website dhich is htpi:/ Mmmiliciniaiain, where a
registeres policy holder can directly register complaint// grievance and registered poicy holder can directly register complaint grievance and
track its status. Customers can also contact at e-mail id co_crmgrve
licindia.con tor redressal case the customersis ot satisievances
case the customer is not satisied with the response or do not receiv
a response trom us within 15 days, then the customer may anproach the
Grievance Cell of the vance Cell of the IRDAI through nany of the following modes
Calling Toll Free Number 155255 / 800425732
(ie. IRDAI Grievance Call Centre)
Sending an email to complaints@irda.govin
Register the complaint online at http://mmwigms.irda.gov.in Address for sending the complaint through courier / Ietter
Consumer Aftairs Department, insurance Regulatory and

Sending the complaint by Fax to 040-66789768
Claimants not satisfied with ne decision of death claim repudiation Claims Dispute Redressal Committee or Central Office Claim
Disute Redressal Conmitee A Dispute Redressal Committee. A retired High Court/ Districa
Court Judge is member of each of the Claims Dispute Redressal
Committees. For Redressal of Cliams related Committees. For Redressal of Claims related grievances, claimants
can also approach Insurance Ombudsman who provides for low cos can also approach Insurance and speedy arbitration to customers.

